जगह का नाम: _____

निजी कर्ज़ संबंधित एग्रीमेंट

आवेदक का नाम	:	_____
कर्ज़ खाता संख्या	:	_____
निवास का पता	:	_____
		_____

AXIS FINANCE

क्रमांक	सूची
1	ऋण समझौता
2	सुविधा समझौता की शर्तों की अनुसूची
3	शुल्कों की अनुसूची
4	परिभाषाएँ
5	सामान्य नियम और शर्तें
6	मुख्य तथ्य विवरण

AXIS FINANCE

निजी कर्ज़ संबंधित एग्रीमेंट

कृपया निम्नलिखित व्यक्तिगत ऋण समझौते को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें आपके अधिकारों और दायित्वों के साथ-साथ आपके लिए लागू होने वाली सीमाओं और बहिष्करणों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है।

इस व्यक्तिगत ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करके, आप इसके द्वारा बाध्य होने के लिए सहमति दे रहे हैं और इस व्यक्तिगत ऋण समझौते का एक पक्ष बन रहे हैं।

यह निजी कर्ज़ संबंधित एग्रीमेंट मौजूद अनुसूची । में कर्ज़ लेने की जगह और तारीख के साथ उस उधारकर्ता (ओं) के बीच किया जाता है जिनका (के)नाम एक भाग के रूप में अनुसूची । में मौजूद है/हैं;

और

एएफ़एल (एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड), एक कॉर्पोरेट निकाय है, जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई में अपनी शाखा के नाम से दूसरे भाग की अनुसूची । (जिसमें "उधारदाता" कहा जाएगा) में जगह के रूप में मौजूद है।

उधारकर्ता" और "उधारदाता" के भाव, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, में उनके संबंधित उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती शामिल होंगे। समझौते में, एकवचन में बहुवचन और पुल्लिंग में स्त्रीलिंग या तटस्थ लिंग शामिल होगा। उधारकर्ता की अभिव्यक्ति, जब एक से अधिक हो, तो उनमें से सभी को सामूहिक रूप से या उनमें से किसी एक को व्यक्तिगत रूप से शामिल किया जाएगा, जैसा कि संदर्भ की ज़रूरत हो सकती है।

जबकि उधारकर्ता के अनुरोध पर, ऋणदाता ने समय-समय पर ऋणदाता द्वारा निर्धारित अनुमत अंतिम उपयोग के लिए, अनुसूची में उल्लिखित राशि का ऋण देने/दिया है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट अचल संपत्तियों पर प्रभार के निर्माण के खिलाफ, सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार।

अब यह समझौता गवाह है जैसा कि इसमें है और यह ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच सहमति व्यक्त की जाती है कि पार्टियां सामान्य नियमों और शर्तों से बाध्य होंगी, इसके अलावा अनुसूची के साथ संलग्न शर्तों की अनुसूची।

प्रमुख तथ्य विवरण

प्रमुख तथ्य विवरण उधारकर्ता इसके द्वारा पुष्टि करता है कि इस अनुबंध के निष्पादन से पहले, उधारकर्ता को वार्षिक प्रतिशत दर और पुनर्भुगतान/परिशोधन अनुसूची सहित प्रमुख तथ्य विवरण प्राप्त हुआ है जिसे अनुसूची V ("केएफएस") के रूप में संलग्न किया गया है और उधारकर्ता को ऐसे केएफएस की सामग्री को विस्तार से समझाया गया है और उधारकर्ता ने केएफएस को पढ़ा और समझा है। उधारकर्ता आगे पुष्टि करता है कि उधारकर्ता समझता है कि पुनर्भुगतान/परिशोधन अनुसूची समय-समय पर विभिन्न कारकों जैसे कि सुविधा के तहत संवितरण की राशि और समय, ब्याज दर में परिवर्तन/उतार-चढ़ाव, सुविधा के तहत/संबंध में चूक आदि के आधार पर बदल सकती है।

पुष्टि

उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत होता है और स्वीकार करता है कि इस समझौते के सामान्य नियम और शर्तें पूरी तरह से समझाई गई हैं और उधारकर्ता ने सामान्य नियमों और शर्तों में निहित सभी प्रावधानों को पूरी तरह से पढ़ा, सत्यापित किया, समझा और अपरिवर्तनीय रूप से सहमति व्यक्त की और स्वीकार किया है, और उधारकर्ता ने इस समझौते को पूर्ण ज्ञान और समझ के साथ निष्पादित किया है। इसमें स्वेच्छा से किए गए दायित्वों को समझा गया है, सहमति व्यक्त की गई है और स्वीकार किया गया है। इस समझौते और सामान्य नियमों और शर्तों की एक प्रति उधारकर्ता को दी जा रही है और उधारकर्ता उसी की प्राप्ति स्वीकार करता है।

अनुसूची I -

व्यक्तिगत ऋण समझौते की शर्तों की अनुसूची

निष्पादन की तारीख	
निष्पादन की जगह	पता:
उधारदाता की शाखा	
ऋणी का नाम	_____ पुत्र
स्थिति (एक को टिक करें)	व्यक्तिगत
कार्यालय का पता/आवासीय पता:	आवासीय पता: -
	कार्यालय का पता:
स्थायी खाता संख्या:	
पंजीकृत ईमेल पता:	
मोबाइल नंबर	
मतदाता पहचान पत्र संख्या/पासपोर्ट संख्या/ड्राइविंग लाइसेंस संख्या/अन्य प्रस्तुत ओवीडी संख्या।	
सह-उधारकर्ता का नाम	_____पुत्र _____
स्थिति (एक को टिक करें)	व्यक्तिगत
कार्यालय का पता/आवासीय पता:	आवासीय पता: -
	कार्यालय का पता:
स्थायी खाता संख्या:	
मतदाता पहचान पत्र संख्या/पासपोर्ट संख्या/ड्राइविंग लाइसेंस संख्या/अन्य प्रस्तुत ओवीडी संख्या।	
ऑफ़र की वैधता अवधि	दिन
उद्देश्य	व्यक्तिगत कर्ज़ के लिए
कर्ज़ प्रकार	
व्यक्तिगत कर्ज़ राशि / स्वीकृति सीमा	रुपये (शब्दों में)
कार्यकाल / अवधि	महीने
ब्याज दर	% प्रति वर्ष मासिक देय
वार्षिक प्रतिशत दर ((एपीआर (एन्युअल परसेन्टेज रेट))	
आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क (गैर-वापसी योग्य)	<u>आवेदन शुल्क</u>- शून्य <u>प्रसंस्करण शुल्क</u>- 3% तक + लागू कर। इसके अलावा, जब तक कि उधारकर्ता(ओं) द्वारा पहले ही भुगतान न किया गया हो, एएफएल पहला वितरण करते समय ऋण प्रसंस्करण शुल्क काट लेगा।
<u>अवधि ऋण के लिए</u>	
समान मासिक किस्त	रुपये (शब्दों में)
समान मासिक किस्त देय तिथि/चुकौती तिथि	

AXIS FINANCE

सावधि कर्ज़ के लिए चुकौती और आवृत्ति	ऋण की अवधि में समान मासिक किस्त में
ओवरड्राफ्ट की सुविधा	
चुकौती की राशि	(ओडी -ओवरड्राफ्ट) सुविधा के लिए मासिक चुकौती की राशि मूलधन (सीमा ड्रॉप राशि) और ब्याज शुल्क (उपयोग के आधार पर) होगी।
अंतिम तिथि पुनर्भुगतान तिथि (रियायती अवधि के साथ)	हर महीने की पहली तारीख हर महीने की 5 तारीख को
सीमा ड्रॉप की तिथि	हर महीने की पहली तारीख को. ब्याज हर महीने के आखिरी दिन लगाया जाएगा।
सीमा ड्रॉप राशि	हर महीने ड्रॉप लिमिट स्वीकृत लिमिट के बराबर होगी, जिसे (ओडी -ओवरड्राफ्ट) सुविधा के कार्यकाल से विभाजित किया जाएगा। उदाहरण - अगर स्वीकृत सीमा 12,00,000 रुपये है और आपका कर्ज़ कार्यकाल 5 वर्ष (60 महीने) है, तो हर महीने सीमा में 20,000 रुपये (12,00,000 / 60) की कमी होगी।
चुकौती अनुसूची	"चुकौती अनुसूची केएफएस के अनुसार होगी और अद्यतित चुकौती अनुसूची उपलब्ध होगी https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html"
टर्म लोन के लिए बीपीआई (ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट)	स्वीकृत कर्ज़ की राशि से पहली ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) देय तिथि के आधार पर कटौती की जाएगी
अन्य शुल्क	ग्राहक द्वारा अनुरोधित बीमा प्रीमियम, कानूनी खर्च, दस्तावेज़ीकरण शुल्क और ऋण के संबंध में किए गए अन्य आकस्मिक खर्च उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।
प्रलेखन	कर्ज़ संबंधित समझौता
	एनएसीएच(नैशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस) मैंडेट या पोस्ट डेटेड चेक(चेक)
कर्ज़ वितरण	दस्तावेज़ीकरण पूरा होने के बाद आप ऋण वितरण के लिए पात्र होंगे।
दंडात्मक शुल्क:	**_____ (जैसा कि शुल्क अनुसूची में उल्लेख किया गया है)**
(ओडी -ओवरड्राफ्ट) के लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क	शून्य
(ओडी -ओवरड्राफ्ट) के लिए गैर-उपयोग शुल्क / प्रतिबद्धता शुल्क	शून्य
वितरण अनुरोध	1) पक्षपात करना _____ 2) खाता संख्या/क्रेडिट कार्ड नंबर _____ 3) भुगतान का तरीका _____ 4) राशि _____ 5) प्रिंट करने का स्थान_____
	1) पक्षपात करना _____ 2) खाता संख्या/क्रेडिट कार्ड नंबर _____ 3) भुगतान का तरीका _____ 4) राशि _____ 5) प्रिंट करने का स्थान _____
	1) पक्षपात करना _____

	2) खाता संख्या/क्रेडिट कार्ड नंबर _____ 3) भुगतान का तरीका _____ 4) राशि _____ 5) प्रिंट करने का स्थान _____

AXIS FINANCE

<u>एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)/एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) वर्गीकरण का उदाहरण:</u>

उधारकर्ता के कर्ज़ खाते को निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जाएगा, यदि सुविधा, मूलधन या ब्याज भुगतान या किसी अन्य राशि के तहत किसी भी राशि के भुगतान में देरी हो, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से अतिदेय हो, जैसा कि आरबीआई द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित किया गया है:

एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट) उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूरी तरह या आंशिक रूप से अतिदेय
एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट) 0	30 दिन तक
एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)-1	30 दिनों से ज़्यादा या 60 दिनों तक
एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)-2	60 दिनों से ज़्यादा या 90 दिनों तक

एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) वर्गीकरण (ओडी -ओवरड्राफ्ट) सुविधा के साथ बदलता है ((ओडी -ओवरड्राफ्ट) उत्पाद के अनुसार फिर से परिभाषित किया जाएगा):

एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)-0	30 दिनों से ज़्यादा
एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)-1	30 दिनों से ज़्यादा या 60 दिनों तक
एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)-2	60 दिनों से ज़्यादा या 90 दिनों तक

यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर उधारकर्ता के किसी भी खाते (कर्ज़ खाता और/या (ओडी -ओवरड्राफ्ट) खाता) को एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)/एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) घोषित किया जाता है, तो उधारकर्ता के दूसरे खाते को भी एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)/एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) माना जाएगा।

उदाहरण: यदि किसी कर्ज़ खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और कर्ज़ देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि के लिए दिन-अंत प्रक्रिया चलाने से पहले पूरी बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय की तारीख 31 मार्च, 2021 होगी। अगर यह लगातार अतिदेय रहता है, तो यह खाता 30 अप्रैल, 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)-1के रूप में टैग किया जाएगा, यानी लगातार 30 दिनों तक अतिदेय रहने पर। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)-1वर्गीकरण की तारीख 30 अप्रैल, 2021 होगी।

इसी प्रकार, अगर खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि यह आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून, 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

अनुसूची II

<u>शुल्क की अनुसूची *</u>

लेन-देन	**शुल्क**
आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क (गैर-वापसी योग्य)	**<u>आवेदन शुल्क</u>- शून्य** **<u>प्रसंस्करण शुल्क</u>- 3% तक + लागू कर**
^बंधक ऋण (पूर्ण पूर्व-भुगतान शुल्क)) (कुल बकाया ऋण राशि पर / ओवरड्राफ्ट उत्पाद के मामले में वर्तमान सीमा (उपलब्ध + उपयोग की गई सीमा))	**शुल्क निम्नलिखित पर लागू हैं:** **आंशिक-पूर्व भुगतान (आंशिक रूप से भुगतान की जा रही राशि पर)**

<table>
<tr><td>और

^आंशिक पूर्व-भुगतान शुल्क (आंशिक रूप से भुगतान की जा रही राशि पर)</td><td>/
बंधक मुक्ति (पूर्ण पूर्व-भुगतान) कुल बकाया ऋण राशि/वर्तमान सीमा पर (ओवरड्राफ्ट के मामले में उपलब्ध सीमा + उपयोग की गई सीमा)

लागू शुल्क - 3% + लागू कर

<u>आंशिक पूर्व-भुगतान और बंधक मुक्ति की शर्तें लागू</u>

1) आंशिक पूर्व-भुगतान / बंधक मुक्ति केवल 12 ईएमआई की निकासी के बाद ही अनुमत होगी।
2) एक वित्तीय वर्ष में केवल दो बार आंशिक-पूर्व भुगतान की अनुमति दी जाएगी और एक वित्तीय वर्ष में पीओएस के 25% तक का पूर्व-भुगतान ही स्वीकार किया जा सकता है।
3) आंशिक पूर्व-भुगतान/बंधक मुक्ति के रूप में प्राप्त राशि को मूल बकाया और आंशिक पूर्व-भुगतान/बंधक मुक्ति शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
4) प्राप्त किसी भी आंशिक पूर्व-भुगतान के लिए समायोजन अवधि में दिया जाएगा और ईएमआई राशि समान रहेगी। (ईएमआई अवधि कम हो जाएगी; ईएमआई राशि समान रहेगी)</td></tr>
<tr><td>दंडात्मक शुल्क **</td><td>
<table>
<tr><td>सुविधा दस्तावेज़ के तहत देय भुगतानों में किसी भी देरी के लिए दंड शुल्क</td><td>बकाया राशि (मूलधन) बकाया / ब्याज बकाया / ईएमआई बकाया) पर 6% प्रति वर्ष प्लस जीएसटी उस अवधि के लिए जिस अवधि में उक्त राशि बकाया रहती है।</td></tr>
<tr><td>स्वीकृति पत्र / सुविधा समझौते के अनुसार किसी अन्य सामग्री शर्तों और शर्तों का पालन न करने से संबंधित दंडात्मक शुल्क</td><td rowspan="2">1% प्रति वर्ष प्लस जीएसटी।

इन गैर-अनुपालनों के लिए दंड शुल्क सुविधा की बकाया मूल राशि पर लगाया जाएगा, गैर-अनुपालन के प्रत्येक उदाहरण के लिए, उल्लंघन की तारीख से उस तारीख तक की गणना की जाएगी जब तक कि स्वीकृति पत्र की शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं।

कई उल्लंघनों से जुड़े मामलों में, कुल दंड शुल्क 3% प्रति वर्ष प्लस लागू जीएसटी से अधिक नहीं होगा।</td></tr>
<tr><td>स्वीकृति पत्र की शर्तों और नियमों के अनुसार दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत न करने से संबंधित दंडात्मक शुल्क</td></tr>
</table>

** उल्लिखित दंड शुल्क लागू ब्याज दर के अलावा है।
**उल्लिखित दंड शुल्क प्रायोगिक भारतीय सामान और सेवा कर पर जीएसटी के अनुसार जीएसटी के तहत लागू होगा और जीएसटी को अलग से लिया जाएगा।</td></tr>
</table>

AXIS FINANCE

	**दंड शुल्क पर और कोई और ब्याज नहीं लगाया जाएगा।
बाउंस शुल्क (चेक रिटर्न/ एनएसीएच (नैशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस) विफलता)	रु.500/- प्रति बाउंस
दस्तावेज़ शुल्क (खाते का विवरण / फौजदारी पत्र / चुकौती अनुसूची / ब्याज प्रमाणपत्र / शेष विवरण / दस्तावेजों की सूची / कोई देय प्रमाणपत्र नहीं)	शून्य
दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति शुल्क	रु.500/- प्रति दस्तावेज़
पीडीसी (पोस्ट डेटेड चेक), सुरक्षा चेक, एनएसीएच (नैशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस) स्वैप शुल्क	रु.500/- प्रति उदाहरण
कर्ज़ पुनर्निर्धारण शुल्क (ग्राहक के अनुरोध पर और एएफ़एल- एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड से अनुमोदन के अधीन)	बकाया कर्ज़ का 0.50%
ब्याज दर तंत्र स्वैप शुल्क (निश्चित दर से अस्थायी और इसके विपरीत)	लागू नहीं
कर्ज़ रद्दीकरण शुल्क	रु.1000
संपार्श्विक/सुरक्षा की अदला-बदली/आंशिक रिहाई	लागू नहीं
स्टांप शुल्क और अन्य वैधानिक शुल्क	राज्य के लागू कानूनों के अनुसार

* सभी शुल्कों और फीस पर (जहाँ भी जीएसटी लागू है) लागू दरों के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अतिरिक्त रूप से लिया जाएगा। उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन हैं और उसी के अनुसार हमारी वेबसाइट www.axisfinance.in पर अपडेट किए जाएँगे।

*बंधक मुक्ति शुल्क / पूर्व भुगतान शुल्क का भुगतान केवल निम्नलिखित खातों से ही किया जा सकता है:

- वेतनभोगी उधारकर्ता(ओं) के लिए उधारकर्ता का वेतन खाता; या
- सुविधा के पुनर्भुगतान के उद्देश्य से ऋणदाता के साथ पंजीकृत पुनर्भुगतान खाता।

*ब्याज दर स्वैपिंग व्यवसाय ऋण के लिए लागू नहीं है।

*एमएसएमई इकाई के लिए उपर्युक्त किसी भी शुल्क पर एएफएल कोई रियायत नहीं देता है।

अनुसूची III

परिभाषाएं

इस व्यक्तिगत ऋण समझौते में जब तक अर्थ या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ नीचे उन्हें सौंपे गए अर्थ होंगे:

"खाता" या "ऋण खाता" का अर्थ है सुविधा के तहत एएफएल (अर्थात ऋणदाता) के साथ उधारकर्ता का ऋण खाता संख्या। यदि उधारकर्ता दोनों सुविधाओं, अर्थात सावधि ऋण और ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाता है, तो दो अलग-अलग ऋण खाता संख्याएँ उत्पन्न की जाएंगी।

"संबद्ध" का अर्थ किसी पार्टी के संबंध में, एक व्यक्ति जो उस पार्टी को नियंत्रित करता है, उसके द्वारा नियंत्रित होता है या उसके साथ सामान्य नियंत्रण में है।

"समझौता" या "सुविधा समझौता" का अर्थ है यह व्यक्तिगत ऋण समझौता, जिसमें शर्तों की अनुसूची और यहां सभी अनुसूचियां शामिल हैं;

"**लागू कानून**" का मतलब इसमें किसी भी क्षेत्राधिकार में समय-समय पर कानून का बल रखने वाले किसी भी कानून, निर्देश, नियम, विनियम, दिशानिर्देश (ओं), परिपत्र, अधिसूचना, स्पष्टीकरण, निर्देश, आवश्यकता, संविधान, डिक्री, निर्णय, पंजीकरण, आदेश, अध्यादेश, विनियम, क़ानून, संधि या अन्य विधायी उपाय शामिल होंगे, और "कानूनी" और "गैरकानूनी" की तदनुसार व्याख्या की जाएगी।

"आवेदन-फ़ॉर्म" का मतलब है सुविधा के लिए आवेदन करने के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र।

"लागू ब्याज दर" का अर्थ सुविधा समझौते में उल्लिखित ब्याज दर होगा।

"वार्षिक प्रतिशत दर/ (एपीआर (एन्युअल परसेन्टेज रेट))" का मतलब है सुविधा की वार्षिक लागत, जो लागू ब्याज दर और सुविधा प्राप्त करने के लिए अन्य लागतों जैसे उधार संसाधन शुल्क, प्रशासनिक शुल्क और बीमा प्रीमियम सहित प्रतिशत के रूप में व्यक्त की गई है।

"उधारकर्ता" का मतलब है, एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति, जो असल में इंसान हैं, अकेले या संयुक्त रूप से/सामूहिक रूप से, जैसा भी मामला हो, जिसका/जिनका नाम और पता अनुसूची "I" में उधारकर्ता के रूप में इस समझौते को निष्पादित करते हुए बताया गया है और मामले में जब उधारकर्ता एक या उससे ज़्यादा लोग हैं, प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से यह समझौता करने के लिए समझा जाता है और एक से ज़्यादा के मामले में, उन सभी ने संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से देनदारियों पर सहमति व्यक्त की है और "उधारकर्ता" शब्द में उसके/उसके/उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि और अनुमत कार्य शामिल होंगे;

"उधारकर्ता का खाता" का अर्थ है उधारकर्ता का वह खाता जिसका खाता नंबर ऐसा है, जो ऐसे बैंक के पास और ऐसी शाखा में है जैसा कि उधारकर्ता द्वारा समय-समय पर ऋणदाता को सूचित किया जा सकता है, जिससे उधारकर्ता सुविधा का पुनर्भुगतान करेगा और ऋणदाता को पुनर्भुगतान जनादेश प्रदान करेगा और जिसमें ऋणदाता इस समझौते की शर्तों के अनुसार सुविधा का वितरण कर सकता है।

"शाखा" का अर्थ है अनुसूची 1 में उल्लिखित स्थान पर ऋणदाता की शाखा और जहां ऋणदाता द्वारा ऋण बुक किया गया है;

" बीपीआई (ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट)" या "टूटी हुई अवधि का ब्याज" उस दैनिक ब्याज को संदर्भित करता है जो संवितरण तिथि से पहला मासिक भुगतान देय होने तक बकाया राशि पर लागू होता है

"**प्रारंभ तिथि**" का मतलब वह तिथि होगी जिस दिन सुविधा ("प्रारंभिक सीमा") के तहत प्रारंभिक ओडी (ओवरड्राफ्ट)सीमा निर्धारित करके कार्यकाल के दौरान पहली बार निकासी के लिए कर्ज़ खाता सक्रिय/परिचालन किया जाता है।

"वितरण" का अर्थ होगा "सुविधा" के तहत "धन" का "वितरण"।

"देय तिथि(तारीखों)" का मतलब वह तारीख(तारीखें) होगा जिस पर बकाया राशि के संबंध में कोई भी राशि उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को देनी होती है, जो कि विशेष रूप से सुविधा के दस्तावेजों में शामिल है।

"ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट)" या "समान मासिक किस्त" का मतलब उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को हर महीने अदा करने की राशि होगी, जिसमें ब्याज या मूलधन और ब्याज शामिल होगा, जैसा भी मामला हो;

"सुविधा" या "ऋण" का अर्थ होगा इस सुविधा समझौते ("सावधि ऋण") की शर्तों के अनुसार उधारकर्ता को वितरित/वितरित करने के लिए सहमत सावधि ऋण सुविधा या ओवरड्राफ्ट सीमा (टीएल/ओडी) या सावधि ऋण और ओवरड्राफ्ट सीमा, जैसा भी मामला हो (टीएल+ओडी)।

"सुविधा दस्तावेज़" का अर्थ होगा आवेदन पत्र, और इसके अनुलग्नक, और इसकी अनुसूचियों के साथ यह समझौता और उधारकर्ता द्वारा निष्पादित या ऋणदाता द्वारा समय-समय पर संशोधित किए गए अनुसार आवश्यक कोई भी दस्तावेज़;

आईबीसी" का अर्थ है दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016, उसके तहत नियम और विनियम, और समय-समय पर यथासंशोधित, पुनः अधिनियमित, प्रतिस्थापित, पुनः शीर्षकित।

"दिवाला कानून" का अर्थ होगा आईबीसी और/या ऐसा अन्य लागू कानून (चाहे अस्तित्व में हो/अब लागू हो या बाद में अस्तित्व में आए/लागू हो जाए) जो किसी भी समय किसी व्यक्ति के संबंध में किसी भी दिवाला, दिवालियापन, परिसमापन, समापन, स्थगन, विघटन, पुनर्गठन, पुनरुद्धार या किसी भी अनुरूप या समान कार्रवाई या कार्यवाही से संबंधित है, चाहे ऐसी कोई कार्रवाई या कार्यवाही ऐसे व्यक्ति, निदेशक मंडल या ऐसे व्यक्ति के अन्य समान शासी निकाय, शेयरधारकों, भागीदारों, सदस्यों, किसी भी लेनदार, या ऐसे व्यक्ति के अन्य हितधारकों या किसी प्राधिकरण या लागू कानून के तहत किसी अन्य व्यक्ति की कार्रवाई या निर्णय या सिफारिश के अनुसार हो, और इसमें किसी भी प्राधिकरण द्वारा ऐसे व्यक्ति या उसके किसी भी व्यवसाय या उपक्रम या संपत्ति का अधिग्रहण या प्रबंधन में परिवर्तन शामिल होगा।

"**कर्ज़दारी**" का मतलब है: (ए) उधार लिया गई राशि; (बी) उधार के व्यापारिक प्रभाव वाले किसी अन्य लेनदेन (हालांकि संरचित) के तहत जुटाई गई कोई भी राशि; और (सी) यहां (ए) या (बी) में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु के लिए किसी गारंटी या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी देयता की राशि।

ब्याज दर" का अर्थ है वह दर जिस पर ऋणदाता ऋण पर ब्याज की गणना और उसे लागू करेगा, जैसा कि अनुसूची 1 में कहा गया है या जैसा कि समय-समय पर ऋणदाता द्वारा संशोधित किया जा सकता है; ब्याज दर लागू होगी जैसा कि स्वीकृति पत्र और/या परिशिष्ट स्वीकृति पत्र, यदि कोई हो, इसके साथ संलग्न अनुसूची और/या सुविधा दस्तावेजों में किसी अन्य प्रावधान में निर्दिष्ट किया जा सकता है, की गणना की जाएगी।

"केएफएस" का अर्थ होगा मुख्य तथ्य विवरण जैसा कि सुविधा समझौते के अनुसूची V में जोड़ा गया है।

"उधारदाता" का मतलब है, एएफएल - एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 (सीआईएन (कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबरः) U65921MH1995PLC212675) के तहत पंजीकृत कंपनी और भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिनियम 1934 के तहत एक लाइसेंस प्राप्त गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी ("एनबीएफसी- नॉन-बैंकिंग फिनैंशियल कंपनी") जिसका पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय है। एक्सिस हाउस, सी-2, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई 400025 (जिसे यहां "उधारदाता" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत नियुक्ति शामिल होंगे) जो अनुसूची "I" के तहत इन प्रस्तुतियों में बताई गई जगह पर अपनी शाखा के रूप में काम कर रहे हैं और इनके उत्तराधिकारियों और नियुक्तियों के नाम भी शामिल हैं;

"सीमा" / "ओवरड्राफ्ट सीमा" का अर्थ इस समझौते के संदर्भ में ऋणदाता द्वारा दी गई ओवरड्राफ्ट सीमा है जो उधारकर्ता को स्वीकृत ऋण राशि के बराबर होगी।

"कर्ज़ लेने का शुल्क" का मतलब वह शुल्क है जो सुविधा समझौते से संलग्न शर्तों की अनुसूची के तहत लागू जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के साथ निर्धारित किया जा सकता है।

"भौतिक प्रतिकूल परिवर्तन" का मतलब किसी भी घटना और/या परिस्थिति के घटित होने से है, जिसका भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

"भौतिक प्रतिकूल प्रभाव" (उधारदाता की समझ और फ़ैसले) का मतलब किसी भी घटना या परिस्थिति के प्रभाव या परिणाम से होगा जो उधारदाता के एकमात्र निर्धारण में है या होने की संभावना है और परिणामस्वरूप एक भौतिक और प्रतिकूल परिवर्तन प्रभाव पड़ता है: (ए) उधारकर्ता (ओं) की वित्तीय स्थिति, व्यवसाय या संचालन या संभावनाएं; (बी) उधारकर्ता (ओं) की क्षमता, सुविधा दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों में प्रवेश करने और पेश करने के लिए; (सी) किसी भी सुविधा दस्तावेजों की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता या उसके तहत उधारदाता के अधिकार या उपचार; या (डी) अंतर्राष्ट्रीय पूंजी या कर्ज़ बाज़ार; (ई) भारत गणराज्य की राजनीतिक, वित्तीय या आर्थिक स्थिति; और किसी भी घटना को घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय भी कहा जाएगा और इसमें शामिल किया जाएगा, जो उधारदाता की राय में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

"ज़रूरी शर्तों" का मतलब इस एग्रीमेंट और सुविधा संबंधित दस्तावेजों में निर्धारित किसी भी और सभी नियमों और शर्तों से होगा, जिसमें सुविधा के मूलधन और/या ब्याज घटक के भुगतान से संबंधित शर्तें और सुविधा दस्तावेजों की मंजूरी की शर्तों और शर्तों के अनुसार दस्तावेजों/जानकारी का प्रस्तुतीकरण शामिल है।

"बकाया" का मतलब है कि किसी भी समय, सुविधा दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को देय सभी राशियां शामिल होंगी, जिनमें वर्तमान और भविष्य की बाध्यताएं और उधारकर्ता की देयता/भुगतान किए बिना सुविधा की मूल राशि (सावधि कर्ज़ और/या (ओडी -ओवरड्राफ्ट)), ब्याज, दंड शुल्क/ दंडात्मक शुल्क और सभी स्टांप शुल्क, कर, व्यय, शुल्क, तरल क्षति, क्षतिपूर्ति, लागत, शुल्क और व्यय शामिल हैं, लेकिन सुविधा के संबंध में किसी भी वैधानिक या विधायी शुल्क, दंड, यदि कोई हो, को सीमित किए बिना; और उधारदाता द्वारा अपने अधिकारों के किसी भी अभ्यास के संबंध में किए गए ऐसे अन्य खर्च, जिसमें कानूनी शुल्क और अदालती खर्च शामिल हैं।

"पक्षों" का इस्तेमाल सामूहिक रूप से दोनों उधारदाता और उधारकर्ता के लिए किया गया है;

" दंड शुल्क/ दंडात्मक शुल्क " उधारकर्ता(ओं) की ओर से इस समझौते और/या सुविधा दस्तावेजों की किसी भी सामग्री शर्तों के किसी भी उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति में ऋणदाता द्वारा लगाए गए शुल्क का अर्थ होगा, जैसा कि शुल्क अनुसूची के तहत अधिक विशेष रूप से वर्णित है

"पूर्व भुगतान शुल्क" का मतलब होगा उधारदाता द्वारा सुविधा के किसी भी पूर्व भुगतान या उसके किसी भी हिस्से के मामले में लगाया गया शुल्क, जैसा कि सुविधा दस्तावेजों में निर्दिष्ट है और जैसा कि उधारदाता द्वारा समय-समय पर सुविधा दस्तावेजों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।

"पुनर्भुगतान अनुसूची" का अर्थ उस पुनर्भुगतान अनुसूची से है जो इस सुविधा के लिए समान आवधिक किस्त के रूप में केएफएस (मुख्य वित्तीय विवरण) में शामिल है और जो https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html पर उपलब्ध है।

"अनुसूची" का मतलब इस एग्रीमेंट से जुड़ी अनुसूचियां है।

"शर्तों की अनुसूची" का अर्थ है सुविधा समझौते से जुड़ी शर्तों की अनुसूची, जिसे समय-समय पर अनुसूची 1 में संशोधित किया गया है और इसमें अनुसूची II, अनुसूची III, अनुसूची IV, अनुसूची V और अनुसूची VI में क्रमशः शुल्क, परिभाषाएँ, सुविधा की शर्तें और केएफएस की अनुसूची शामिल होगी।

"करों" में किसी भी और सभी वर्तमान और भविष्य के कर, शुल्क, अधिभार, उपकर, लेवी, अधिभार शामिल होंगे, जिसमें सकल प्राप्तियों, बिक्री, सेवाओं, कारोबार, मूल्यानुसार, मूल्यवर्धन, उपयोग, उपभोग के संबंध में या बिना किसी सीमा के शामिल होंगे। , संपत्ति, मताधिकार, पूंजी, व्यवसाय या पेरोल, लाइसेंस, उत्पाद शुल्क, दस्तावेज़ (जैसे स्टांप शुल्क), लाभ, लाभ (पूंजीगत लाभ सहित), विच्छेद, उत्पादन, रोक, वैकल्पिक, या ऐड-ऑन न्यूनतम, स्थानांतरण या पर्यावरण और अन्य सीमा शुल्क और कर, मूल्यांकन, अधिभार, शुल्क और/या किसी भी प्रकार का शुल्क, ब्याज या दंड के साथ, कर में वृद्धि या अतिरिक्त राशि जो किसी भी प्राधिकारी द्वारा लगाई, रोकी गई, लगाई या निर्धारित की गई हो। इस अनुबंध की अवधि के दौरान करों में किसी भी प्रकार की भिन्नता या बदलाव या फिर उसकी दरें, या कोई नया या अतिरिक्त कर (वस्तु और सेवा कर सहित) लगाना शामिल होगा, लेकिन इसमें किसी भी पार्टी की आय पर कर शामिल नहीं होगा।

अनुसूची IV

सामान्य नियम और शर्तें

कृपया निम्नलिखित सामान्य नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें आपके अधिकारों और दायित्वों के साथ-साथ आपके लिए लागू होने वाली सीमाओं और बहिष्करणों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इस दस्तावेज़ में एक अनिवार्य विवाद समाधान खंड है।

इन सामान्य नियमों और शर्तों को स्वीकार और हस्ताक्षर करके, यह माना जाएगा कि आपने अपनी मातृभाषा में अपने अधिकारों और दायित्वों को पढ़, समझ लिया है और यदि आवश्यक हो, तो आपको समझाया गया है, और आप बिना किसी सीमा या योग्यता के, इन सामान्य नियमों और शर्तों को बिना शर्त स्वीकार करते हैं, जो आप पर बाध्यकारी होंगे।

उधारकर्ता इस एग्रीमेंट के अमल में या समझने में किसी भी तरह की पूछताछ या चिंताओं को ग्राहक सेवा ई-मेल: customer.support@axisfinance.in पर भेज सकता है। यह प्रावधान यहां निर्धारित नियमों और शर्तों के संबंध में उधारकर्ता की समय पर जानकारी और सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करने का कार्य करता है।

1. व्याख्या के नियम

1.1 इस एग्रीमेंट में, एकवचन या बहुवचन के रूप में पुल्लिंग लिंग, स्त्रीलिंग या फिर तटस्थ लिंग शामिल होगा।
1.2 यहां परिभाषित नहीं की गई कोई भी अभिव्यक्ति, यदि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के तहत परिभाषित की गई है, तो उसका वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम के तहत दिया गया है।
1.3 इस अनुबंध में खंडों की व्यवस्था का उनकी व्याख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण

उधारकर्ता के अनुरोध, प्रस्तुतियों, वारंटियों, अनुबंधों और उपक्रमों के आधार पर, जो इसमें और ऋण के लिए आवेदन पत्र और सुविधा के संबंध में उधारकर्ता द्वारा निष्पादित या निविदा किए गए अन्य दस्तावेजों में निहित हैं, ऋणदाता उधारकर्ता को ऋण देने के लिए सहमत है और उधारकर्ता ऋणदाता से उधार लेने के लिए सहमत है, इस समझौते और अनुसूची 1 में पूरी तरह से निहित नियमों और शर्तों पर सुविधा।

ऋणदाता यहां उधारकर्ता को अनुदान देने के लिए सहमत हो गया है और उधारकर्ता इसके द्वारा ऋणदाता से, उपलब्धता अवधि के दौरान, अनुसूची में निर्दिष्ट सुविधा राशि (राशि) प्राप्त करने के लिए सहमत है। उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में ऋणदाता को संवितरण के लिए अनुरोध करके प्रत्येक सुविधा के अनुदान के लिए अनुरोध कर सकता है और ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर, ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर, उधारकर्ता के खाते में उल्लिखित प्रासंगिक सुविधा राशि के सभी या भाग का वितरण कर सकता है। सुविधा उधारकर्ता (ओं) को एक सावधि ऋण के रूप में और / या ओवरड्राफ्ट सीमा के रूप में दी जा सकती है, और अनुसूची में निर्दिष्ट के रूप में। उधारकर्ता सहमत है कि सुविधा कार्यकाल ("कार्यकाल") और उद्देश्य ("उद्देश्य") के लिए होगी जिसका उल्लेख अनुसूची में किया गया है। उधारकर्ता इसके द्वारा आगे सहमत है कि यदि प्राप्त सुविधा ओवरड्राफ्ट सीमा के रूप में है, तो सुविधा में अलग-अलग महीनों में लागू होने वाली अलग-अलग ऑपरेटिंग ओवरड्राफ्ट सीमाएं होंगी जो नीचे खंड 3 में दिए गए तरीके से निर्धारित की जाती हैं (प्रत्येक एक "परिचालन सीमा")। मासिक परिचालन सीमा ड्रॉप कुल स्वीकृत ओवरड्राफ्ट सीमा होगी जो सुविधा के कार्यकाल को महीनों में विभाजित करती है। ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच ऋणदाता और उधारकर्ता के रूप में संबंध प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल आधार पर होगा जो इस समझौते की तारीख से शुरू होगा और तब तक बना रहेगा जब तक कि इस समझौते के तहत और इसके अनुसार अन्य सभी दस्तावेजों में उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय और देय सभी धन पूरी तरह से ऋणदाता को भुगतान और प्राप्त नहीं हो जाते हैं।

3. ओवरड्राफ़्ट मासिक कटौती चक्र:

उधारकर्ता को दी गई ओडी सुविधा के संबंध में ब्याज की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी, जो उधारकर्ता के खाते में दिन के अंत में उपलब्ध ओडी सुविधा से उपयोग की गई राशि के अनुसार होगी। ब्याज की गणना प्रत्येक महीने की पहली तारीख से लेकर "प्रत्येक महीने के अंत" यानी महीने के 28वें / 29वें / 30वें या 31वें (जैसा भी मामला हो) दिन तक की अवधि के लिए की जाएगी, जो सुविधा की अवधि के दौरान होगी और इसका भुगतान उधारकर्ता द्वारा अंतिम तिथि (अंतिम तिथियों) पर किया जाएगा, जो अगले महीने की पहली तारीख है, हालांकि, ऋणदाता अनुग्रह अवधि के बाद अगले कैलेंडर महीने की 5 तारीख तक इसका पुनर्भुगतान करने की अनुमति दे सकता है।

यदि प्रारंभ तिथि महीने के 20वें दिन या उससे पहले है, तो प्रारंभिक सीमा प्रारंभ तिथि से लेकर उस महीने के अंतिम दिन तक लागू होगी। हालांकि, यदि प्रारंभ तिथि उक्त महीने के 21वें दिन या उसके बाद है, तो प्रारंभिक सीमा प्रारंभ तिथि से लेकर अगले महीने के अंतिम दिन तक लागू होगी। इसके बाद, प्रत्येक महीने के लिए, परिचालन सीमा संबंधित कैलेंडर महीने की पहली तारीख ("सीमा परिवर्तन तिथि") से लेकर उसी कैलेंडर महीने की अंतिम तारीख (दोनों सहित) तक लागू होगी। परिचालन सीमा प्रत्येक सीमा परिवर्तन तिथि पर स्वचालित रूप से L/N की राशि से कम हो जाएगी, जहां L प्रारंभिक सीमा है और N ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि है, जिसे अनुसूची में दिए गए अनुसार महीनों में दर्शाया गया है।

उदाहरण: यह मानते हुए कि प्रारंभ तिथि अवधि के पहले महीने की 20 तारीख को या उससे पहले है, और यदि ओवरड्राफ्ट सुविधा की मूल अवधि 10 महीने है और दी गई प्रारंभिक सीमा 10,00,000/- रुपये (दस लाख रुपये मात्र) है, तो अगले महीने के लिए परिचालन सीमा स्वचालित रूप से 10,00,000/10 = 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) से कम हो जाएगी और नई परिचालन सीमा (10,00,000 - 1,00,000) = 9,00,000/- रुपये (नौ लाख रुपये मात्र) होगी। इसी प्रकार, अगले महीने के लिए, उधारकर्ता के लिए उपलब्ध परिचालन सीमा 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) से कम हो जाएगी, और 8,00,000/- रुपये (आठ लाख रुपये) हो जाएगी और इसी तरह आगे भी।

4. शुल्क, प्रभार, लागत और दावे

(क) सावधि ऋण: सुविधा, जिसमें ब्याज और दंड शुल्क शामिल हैं, पर वस्तु एवं सेवा कर, शुल्क और कोई अन्य शुल्क लगेगा जैसा कि शुल्क और केएफएस की अनुसूची में उल्लेख किया गया है, जिसे उधारकर्ता ऋणदाता को अलग से चुकाने के लिए सहमत है।

ऋणदाता, उधारकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान अनुसूची से पहले चुकाई गई सुविधा की राशि पर अनुसूची 1 में उल्लिखित दर पर पूर्व भुगतान शुल्क उधारकर्ता से वसूलने का हकदार होगा जैसा कि अनुसूची I/ ऋणदाता द्वारा अलग से निर्दिष्ट किया गया है। ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर शुल्कों को उपयुक्त रूप से और भावी रूप से बदल सकता है।

ऋणदाता इस समझौते और इस समझौते के अनुसार किसी भी अन्य दस्तावेज़ या सुरक्षा निर्माण के निष्पादन और स्टैंपिंग के कारण सहित, सुविधा के संबंध में ऋणदाता द्वारा किए गए किसी भी अन्य शुल्क या लागत या दावों को उधारकर्ता से वसूलने का भी हकदार होगा।

(ख) ओवरड्राफ्ट: (i) सीमा पर वस्तु एवं सेवा कर, शुल्क और कोई अन्य शुल्क लगेगा, यदि कोई हो, जैसा कि अनुसूची 1 में उल्लेख किया गया है, जिसे उधारकर्ता ऋणदाता को अलग से वहन करने और भुगतान करने के लिए सहमत है।

(ii) ऋणदाता इस समझौते और इस समझौते के अनुसार किसी भी अन्य दस्तावेज़ या सुरक्षा निर्माण के निष्पादन और स्टैंपिंग के कारण सहित, सीमा के संबंध में ऋणदाता द्वारा किए गए किसी भी शुल्क या लागत या दावों को उधारकर्ता से वसूलने का हकदार होगा।

(iii) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सभी शुल्कों और फीस पर लागू दरों के अनुसार अतिरिक्त रूप से लगाया जाएगा (जहां भी जीएसटी लागू है)।

(ग) ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर मुद्रा बाजार की स्थितियों में बदलाव के आधार पर ब्याज दर और शुल्कों को उपयुक्त रूप से और भावी रूप से बदल सकता है।

5. खाते के संचालन का तरीका

(i) जब तक उधारकर्ता(ओं) और ऋणदाता के बीच अन्यथा सहमति न हो, ऋणदाता उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से किए गए अनुरोध के अनुसार उधारकर्ता के खाते में एकमुश्त राशि में सुविधा जमा करेगा।

(ii) उधारकर्ता सहमत है और स्वीकार करता है कि उधारकर्ता, उधारकर्ता के अनुरोध के अनुसार वितरित सुविधा की सीमा तक, उधारकर्ता के खाते में निकासी करके सुविधा को वापस ले सकता है।

(iii) उधारकर्ता द्वारा यह सहमति और स्वीकार किया जाता है कि संवितरण से संबंधित प्रभार (इस तरह के भुगतान आदेश या डिमांड ड्राफ़्ट पर लाभार्थी द्वारा आय के संग्रह के लिए या जारी करने के लिए प्रभार सहित) पूरी तरह से उधारकर्ता द्वारा चुकाया जाएगा।

(iv) ऋणदाता किसी भी समय सुविधा के लिए किसी भी राशि का वितरण नहीं कर सकता है, जब तक कि ऋणदाता के एकमात्र विवेक पर उधारकर्ता द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है:

(क) कर्ज़ से जुड़े दस्तावेज़ उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को विधिवत निष्पादित और वितरित किए जाते हैं;

(ख) उधारकर्ता द्वारा दोबारा भुगतान करने के लिए उधारदाता को पोस्टडेटेड चेक जमा करना (टर्म लोन घटक के लिए लागू) या ईएनएसीएच (इलेक्ट्रॉनिक नैशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस) जनादेश / ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम);

(ग) उधारदाता को अपनी समझ अनुसार किसी अन्य दस्तावेज़ या लेखन की आवश्यकता हो सकती है।

(घ) उपयुक्त प्राधिकारियों से सभी आवश्यक अनुमोदन और अनुमति प्रस्तुत करना, जिसमें निगमों से अनुमोदन और प्रमाण पत्र शामिल हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(v) ऋणदाता सुविधा के तहत किसी भी आगे की राशि के वितरण को रोकने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जब तक कि इस तरह के आगे के वितरण से पहले ऋणदाता के एकमात्र विवेक पर निम्नलिखित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है:

(क) टर्म लोन और/या ओवरड्राफ़्ट और/या सुविधा से संबंधित डिफ़ॉल्ट की कोई घटना नहीं घटी होगी;

(ख) उधारकर्ता को ओवरड्राफ़्ट सुविधा के पूर्व संवितरण के उपयोग का साक्ष्य पेश करना होगा;

(ग) उधारकर्ता को उधारदाता के पक्ष में, उधारदाता द्वारा अपेक्षित बीमा पॉलिसी सौंपनी होगी;

(घ) उधारकर्ता को अपने आवधिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने होंगे; और

(ई) उधारकर्ता को अपने विवेक से उधारदाता द्वारा अपेक्षित सभी या कोई अन्य दस्तावेज़ या लेखन प्रस्तुत करना होगा, जो उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

(vi) सुविधा समझौते या किसी भी वित्त दस्तावेज में निहित विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, सुविधा की निरंतरता ऋणदाता के एकमात्र और पूर्ण विवेक पर होगी और ऋणदाता के पास उधारकर्ता से ऋणदाता के एकमात्र विवेक पर और कोई कारण बताए बिना, बकाया राशि का भुगतान करने

के लिए कहने और मांगने का अधिकार सुरक्षित है और ऋणदाता द्वारा ऐसी मांग पर, उधारकर्ता, ऐसा कहे जाने के 3 (तीन) दिनों के भीतर, बिना किसी कटौती, रोक, सेट-ऑफ, काउंटर-दावे, किसी भी देरी या आपत्ति के ऋणदाता को बकाया राशि का पूरा भुगतान करेगा।

(vii) अगर उधारकर्ता के पास उपलब्ध सीमा के अतिरिक्त खाते में अतिरिक्त धनराशि जमा है, तो उधारदाता ऐसी अतिरिक्त धनराशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी या बाध्य नहीं होगा।

(viii) खाते में जमा अतिरिक्त धनराशि के कारण होने वाली ब्याज बचत केवल उधारदाता को धनराशि की प्राप्ति की तारीख से उपलब्ध होगी, न कि उधारकर्ता द्वारा शुरू किए गए लेनदेन की तारीख से।

(ix) ऋणदाता ऋण चुकौती के जोखिम को कवर करने के लिए जीवन बीमा के माध्यम से सलाह दे सकता है जहां उधारकर्ता के पास ऋणदाता के भागीदारों के माध्यम से प्रदान किए गए विकल्पों से या बाजार में उपलब्ध किसी अन्य बीमा कंपनी के माध्यम से बीमा के लिए नामांकन करने का विकल्प होता है। उधारकर्ता ऐसे बीमा उत्पादों के नियमों और शर्तों को समझने और समीक्षा करने के बाद अपनी पसंद के अनुसार। उधारकर्ता अपने विवेक के अनुसार बीमा का लाभ उठाने या न लेने का विकल्प चुन सकता है।

6. वितरण

6.1 ऋणदाता, उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच अन्यथा सहमति होने और अनुसूची 1 में बताए अनुसार, आरटीजीएस/एनईएफटी हस्तांतरण/उधारकर्ता के खाते में चेक जारी करके सुविधा का वितरण करेगा जैसा कि अनुसूची 1के तहत उल्लेख किया गया है। ऋणदाता के पास सुविधा की अवधि के दौरान किसी भी समय सुविधा के आहरित/अनुपलब्ध/अप्रयुक्त हिस्से को बिना किसी पूर्व सूचना के, किसी भी कारण से रद्द करने का बिना शर्त अधिकार होगा। ऐसी किसी भी रद्द करने की स्थिति में, इस समझौते के सभी प्रावधान और अन्य सभी संबंधित दस्तावेज प्रभावी और वैध बने रहेंगे और उधारकर्ता सुविधा के तहत बकाया राशि का भुगतान नियत समय पर और समय पर करेगा जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

6.2 दोनों पक्षों द्वारा और उनके बीच इस बात पर सहमति है कि भुगतान से जुड़े शुल्क (आरटीजीएस (रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) / एनईएफ़टी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर) हस्तांतरण/चेक जारी करने/चेक रद्द करने के शुल्क सहित) पूरी तरह से उधारकर्ता द्वारा चुकाया जाएगा।

6.3 ऋणदाता किसी भी समय व्यक्तिगत ऋण सुविधा के तहत किसी भी राशि का वितरण नहीं कर सकता है जब तक कि ऋणदाता द्वारा निर्धारित सभी शर्तों और किसी भी अन्य औपचारिकताओं का उधारकर्ता द्वारा पालन नहीं किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, ऋणदाता के एकमात्र विवेक पर: (i) उधारकर्ता द्वारा ऋण आवेदन पत्र, उधारकर्ता के वेतन खाते के बैंक विवरण, पहचान और पते के प्रमाण के लिए अपने ग्राहक को जानिए दस्तावेज ऋणदाता की संतुष्टि के लिए जमा करना; (ii) उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को पोस्ट-डेटेड चेक/नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ("एनएसीएच") अधिदेश या ई-एनएसीएच अधिदेश या उधारकर्ता के वेतन खाते से पुनर्भुगतान किश्तों के लिए डेबिट के लिए पोस्ट डेटेड चेक जमा करना; और (iii) कोई अन्य दस्तावेज या लेखन जो ऋणदाता अपने एकमात्र विवेक पर मांग सकता है।

6.4 उधारकर्ता महीने के पांचवें दिन तक मासिक किस्तों के संदर्भ में समान राशि या उसके ऐसे हिस्से का भुगतान करेगा जो उधारदाता को देय रहेगा। समान मासिक किस्त में ब्याज घटक शामिल है। उधारकर्ता सुविधा को या तो किश्तों में या एक बार की निकासी द्वारा वापस ले सकता है। किस्तों में निकासी की स्थिति में, उधारदाता अपनी समझ से हर एक किश्त के लिए अलग-अलग या समान ब्याज दर लागू करेगा।

6.5 उपलब्धता अवधि के दौरान उधारकर्ता के पास सुविधा के वितरण का अनुरोध करने का विकल्प होगा या तो पूर्ण रूप से या किश्तों में, किसी भी समय। "उपलब्धता अवधि" का अर्थ है इस समझौते के निष्पादन की तारीख से शुरू होने वाली अवधि और स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट तिथि पर समाप्त होने वाली अवधि, या इस तरह की विस्तारित अवधि जिस पर ऋणदाता अपने विवेक से सहमत हो सकता है। उपलब्धता अवधि के दौरान उधारकर्ता द्वारा वितरण के लिए कोई भी अनुरोध इस समझौते की शर्तों के साथ उधारकर्ता के अनुपालन और ऋणदाता द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य शर्त की संतोषजनक पूर्ति के अधीन होगा।

7. ओवरड्राफ्ट सीमा में वृद्धि / कमी और सीमा की गणना

i. उधारकर्ता द्वारा यह सहमति और स्वीकार किया जाता है कि उधारदाता प्रारंभिक सीमा और/या किसी भी परिचालन सीमा(सीमाओं) को ऐसे अतिरिक्त नियमों और शर्तों के अधीन बदलने/पुनः निर्धारित (बढ़ाने/घटाने/रद्द करने सहित) करने का हकदार होगा। साथ ही, उधारदाता आगे

की शर्त लगाना उचित समझ सकता है जिसमें, बिना किसी सीमा के, उधारकर्ता के क्रेडिट का पुनर्मूल्यांकन और उधारकर्ता द्वारा ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करना शामिल है, जो आवश्यक हो सकते हैं।

ii. सुविधा/संचालन सीमा में परिवर्तन होने पर, जैसा भी मामला हो, इस दस्तावेज़ को उस संबंध में किसी भी अन्य दस्तावेज़ को निष्पादित करने की ज़रूरत के बिना ऐसी परिवर्तित और/या बढ़ी हुई सुविधा/संचालन सीमा को सुरक्षित रखना जारी रखा जाएगा।

iii. उधारकर्ता प्रतिनिधित्व करता है और आश्वासन देता है कि उधारकर्ता परिचालन सीमा की गणना करने की उधारदाता की तरतीब से सहमत है, समझ गया है, स्वीकार कर लिया है और उससे अवगत है और समय-समय पर लागू परिचालन सीमाओं के बारे में समय-समय पर खुद को अवगत रखेगा।

iv. उधारकर्ता को कार्यकाल के दौरान हर समय यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी समय सुविधा के तहत कुल बकाया उपयोग में लागू परिचालन सीमा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।

v. उधारदाता अपनी समझ अनुसार किसी भी अनुरोध या भुगतान निर्देश को अस्वीकार करने/संसाधित नहीं करने का हकदार होगा जो लागू परिचालन सीमा (उपयोग और डेबिट शेष को घटाकर) से अधिक है और उधारकर्ता इसके परिणामों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा और उधारदाता उस संबंध में किसी भी समय किसी भी तरीके से उधारकर्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

8. निधियों का अंतिम उपयोग

उधारकर्ता सुविधा का उपयोग केवल स्वीकृति पत्र/सुविधा समझौते में बताए गए उद्देश्य के लिए करेगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए या पूंजी बाजार/शेयरों/डिबेंचरों/म्यूचुअल फंडों/किसी भी रूप में सोने की खरीद, जिसमें प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और गोल्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयां या कोई भी अवैध/सट्टा गतिविधि शामिल है, में निवेश के लिए नहीं करेगा। ऐसा करने के लिए बाध्य हुए बिना, ऋणदाता सुविधा के उपयोग/अंतिम उपयोग की निगरानी करने का हकदार होगा, जिसमें ऋणदाता द्वारा अपने विवेकाधिकार पर और उधारकर्ता के एकमात्र लागत और व्यय पर नियुक्त किए गए किसी भी लेखा परीक्षक(कों) या सलाहकार(कों) के माध्यम से उधारकर्ता की पुस्तकों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण/जांच करना शामिल है, जिसमें उनसे आवश्यक प्रमाणन प्राप्त करना भी शामिल है। जब भी ऋणदाता द्वारा आवश्यक हो, उधारकर्ता सुविधा के अंतिम उपयोग/उपयोग का ऋणदाता को संतोषजनक प्रमाण, दस्तावेजी या अन्यथा, प्राप्त करेगा। उधारकर्ता इसके द्वारा आगे सहमत है कि वह ऋणदाता द्वारा आवश्यक होने पर अनुसूची V। में निर्दिष्ट प्रारूप में ऋणदाता को अंतिम उपयोग घोषणा तुरंत प्रस्तुत करेगा।

9. ब्याज और दंड शुल्क

9.1 सुविधा पर ब्याज उस तारीख से लगना शुरू हो जाएगा जिस तारीख को ऋण खाते में वितरण किया गया है और तदनुसार पहली ईएमआई (बीपीआई) की गणना केवल पहली किस्त की अंतिम तिथि के लिए शेष दिनों की वास्तविक संख्या के लिए की जाएगी। सुविधा का वितरण (आरटीजीएस)/(एनईएफटी)/चेक द्वारा किया जाएगा।

9.2 सुविधा पर ब्याज की गणना की जाएगी और प्रत्येक कैलेंडर माह/तिमाही/छमाही वर्ष/वर्ष में अंतिम तिथि पर उधारकर्ता के खाते से डेबिट किया जाएगा जैसा कि अनुसूची 1 में बताया गया है।

9.3 सुविधा पर समय-समय पर लागू होने वाले ब्याज कर और अन्य शुल्क पूरी तरह से उधारकर्ता द्वारा चुके जाएंगे।

9.4 ऋणदाता इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा देय और देय सभी अन्य राशियों (ब्याज कर, शुल्क, स्टाम्प शुल्क, लागत, सेवा/पूर्व भुगतान और अन्य शुल्क, दावे और खर्च सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) को उधारकर्ता के खाते में डेबिट करने का हकदार होगा, जब तक कि उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को अलग से प्रतिपूर्ति न की जाए। ऐसी राशियाँ सुविधा का हिस्सा बनेंगी।

9.5 ऋणदाता ब्याज दरों और दंड शुल्कों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे किसी भी समायोजन पर, ऋणदाता संशोधित दरों के बारे में उधारकर्ता को सूचित करेगा। ऐसी अधिसूचना के बाद, समायोजित दरें भावी रूप से प्रभावी होंगी।

9.6 **दंड शुल्क: सुविधा दस्तावेजों के तहत ऋणदाता के पास उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी भौतिक शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, अनुसूची II शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर दंड शुल्क उधारकर्ता पर लगाया जाएगा और अतिरिक्त शुल्क के रूप में देय होगा। ऐसे चूक/उल्लंघन होने पर ऋणदाता उधारकर्ता को ऐसे चूक/उल्लंघन के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा, साथ ही उस संबंध में लगाए गए दंड शुल्क की मात्रा और कारण भी बताएगा, जिसे ऋणदाता की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। दंड शुल्क की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को चूक/उल्लंघन हुआ है, जब तक कि ऋणदाता की संतुष्टि के लिए ऐसे चूक/उल्लंघन का निवारण नहीं हो जाता। यह स्पष्ट किया जाता है कि दंड शुल्क की पहले की बकाया राशि पर अतिरिक्त दंड शुल्क नहीं लगाया जाएगा यदि ऐसे शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। इसके अलावा, दंड शुल्क की बकाया राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा यदि ऐसे शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। स्पष्टता के लिए, ऋणदाता को सुविधा समझौते के तहत अंतिम तिथि (नियत तिथियों) पर किसी भी राशि के पूर्ण भुगतान में उधारकर्ता द्वारा किसी भी चूक की स्थिति में, उधारकर्ता अनुसूची में उल्लिखित अतिदेय राशियों पर दंड शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसकी गणना अंतिम तिथि से उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को पूर्ण भुगतान किए जाने तक की जाएगी, ऋणदाता की संतुष्टि के लिए। बशर्ते कि, यदि सुविधा एक ओवरड्राफ्ट सीमा है, तो ऋणदाता उधारकर्ता को सुविधा के तहत देय राशियों के पुनर्भुगतान के लिए अंतिम तिथि के अनुसार, ऋणदाता द्वारा उचित समझे जाने वाली अवधि ("अनुग्रह अवधि") के दौरान अनुग्रह अवधि प्रदान कर सकता है, जिसके दौरान ऋणदाता उधारकर्ता पर दंड शुल्क नहीं लगा सकता है और यदि उक्त पुनर्भुगतान उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को ऐसी अनुग्रह अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो दंड शुल्क उधारकर्ता द्वारा अंतिम तिथि से देय होगा।**

9.7 सुविधा के तहत बकाया राशि पर लगने वाला सभी ब्याज दिन-प्रतिदिन लगेगा और इसकी गणना तीन सौ पैंसठ (365) दिनों के एक वर्ष में बीते दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर की जाएगी या किसी अन्य वर्ष के लिए प्रथागत किसी अन्य वर्ष में ऐसे अन्य दिनों के आधार पर की जाएगी। ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर वर्ष के आधार और ब्याज की अवधि को संशोधित करेगा।

9.8 सुविधा की राशि पर ब्याज समझौते की अनुसूची "I" में निर्धारित ब्याज दर पर लागू किया जाना है। सुविधा की पूरी अवधि के लिए ब्याज दर तय की जाएगी।

9.9 ओवरड्राफ्ट सीमा के मामले में, सीमा पर ब्याज उधारकर्ता द्वारा हर महीने अलग से देय होगा।

9.10 उधारकर्ता सुविधा/सीमा पर ब्याज, बकाया शेष, अतिदेय राशि, अवैतनिक देय ब्याज और अन्य सभी बकाया शुल्क और धन (दंड शुल्क को छोड़कर), अनुसूची 1 में निर्दिष्ट ब्याज दर पर, बकाया दैनिक शेष पर, मासिक आधार पर चक्रवृद्धि रूप से भुगतान करेगा। उधारकर्ता ऋणदाता की ब्याज गणना की विधि से सहमत है, समझता है, स्वीकार करता है और उससे अवगत है।

9.11 यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाता एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) के रूप में वर्गीकृत नहीं है, उधारकर्ता को हर समय नीचे उल्लिखित 3 (तीन) शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा:

(क) उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि बकाया राशि लगातार 90 दिनों तक स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक न रहे।

(ख) उधारकर्ता की ओर से सुविधा का कोई उपयोग नहीं होने की स्थिति में, ऋणदाता अपने विवेक पर ऋण खाता बंद करने या सुविधा वापस लेने का हकदार होगा।

(ग) उधारकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि पिछले 3 (तीन) महीनों में क्रेडिट पिछले तीन महीनों के अवैतनिक ब्याज को चुकाने के लिए पर्याप्त है।

बिलिंग चक्र: उधारकर्ता अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित बिलिंग चक्र की शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करेगा।

10. पुनर्भुगतान

10.1 सुविधा (जिसमें मूलधन, उस पर ब्याज, पूर्व-भुगतान शुल्क, यदि कोई हो, और कोई अन्य शुल्क, प्रीमियम, फीस, कर, लेवी या अन्य देय राशि शामिल है जो उधारकर्ता द्वारा इस समझौते के अनुसार ऋणदाता को देय है) उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को चुकाई जाएगी - (i) समान मासिक किस्त (ईएमआई) के माध्यम से मूलधन और/या ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए, जैसा भी मामला हो, इस समझौते की शर्तों के अनुसार; और (ii) दंड शुल्क, फीस, शुल्क, करों, दावों, लागतों और सुविधा खाते में लगाए गए खर्चों के पुनर्भुगतान के लिए अलग-अलग पुनर्भुगतान द्वारा।

10.2 यदि सुविधा एक सावधि ऋण है, तो समान मासिक किस्त (ईएमआई) की राशि इस प्रकार निकाली जाएगी कि उसमें मूलधन का पुनर्भुगतान और ब्याज दर/एपीआर, अवधि के आधार पर गणना किए गए ब्याज का भुगतान शामिल हो, सुविधा के तहत पूरी देयता का उसकी अवधि के अंत में पुनर्भुगतान हो और उधारकर्ता ईएमआई का भुगतान तब तक जारी रखने के लिए सहमत है जब तक कि सुविधा के तहत देय सभी राशि ऋणदाता को पूरी तरह से चुका नहीं दी जाती।

10.3 हर एक देय तिथि पर नियमित रूप से ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) का भुगतान करने के दायित्व के संबंध में उधारकर्ता को कोई नोटिस, अनुस्मारक या सूचना नहीं दी जाएगी। उधारदाता को शीघ्र और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना पूरी तरह से उसकी ज़िम्मेदारी होगी। किसी भी ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) के भुगतान में किसी भी तरह की देरी या चूक के कारण उधारकर्ता उधारदाता को अनुसूची "I" में उल्लिखित दंड शुल्क/ दंडात्मक शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, इसके अलावा एक डिफ़ॉल्ट भी होगा, जिससे इस एग्रीमेंट के तहत सभी रकम उधारदाता को देय हो जाएगी।

10.4 मूलधन के सभी दुबारा भुगतान और ब्याज और बाकी सभी राशियों का भुगतान ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) के ज़रिए करना होगा या फिर उधारदाता द्वारा समय-समय पर अपनाई गई भुगतान की विधि के अनुसार कर्ज़ खाते में बदलाव किया जाएगा।

10.5 पुनर्भुगतान अनुसूची से पहले पुनर्भुगतान पर अनुसूची 1 में बताए अनुसार पूर्व-भुगतान शुल्क लगेगा।

10.6 अतिदेय/ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) बाउंस होने की स्थिति में किस्त का प्रतिनिधित्व।

10.7 उधारदाता की पूर्व लिखित सहमति के अलावा, उधारकर्ता किसी भी परिस्थिति में, जारी किए गए भुगतान निर्देशों के संबंध में निर्देशों को रद्द या रद्द या उसमें बदलाव नहीं करेगा या भुगतान रोकने के आदेश / निर्देशों को रद्द या जारी नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी करने से बचें जिसके परिणामस्वरूप उधारकर्ता का बैंक संबंधित देय तिथि पर उधारदाता के बैंक खाते में सुविधा दस्तावेजों के तहत देय ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) / राशि के बराबर राशि स्थानांतरित नहीं कर सकेगा। ऐसा करने की किसी भी कोशिश को दंड माना जाएगा।

10.8 सुविधा दस्तावेजों में किसी भी बात के बावजूद, और सुविधा दस्तावेजों में उधारकर्ता द्वारा चुने गए भुगतान के तरीके के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा किसी भी डिफ़ॉल्ट पर, अगर सुविधा से संबंधित नियत तिथि पर एक या उससे ज़्यादा ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) का भुगतान किया जाता है, तो कोई भी गैर - उधारदाता द्वारा नियत तिथि पर किस्तों की वसूली, उधारदाता सुविधा दस्तावेजों और लागू कानून के तहत अपने अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता द्वारा जारी किए गए भुगतान उपकरणों, अगर कोई लागू है, को प्रस्तुत करने और/या प्रतिनिधित्व करने का हकदार होगा। सुविधा के संबंध में उधारदाता का पक्ष। सुविधा दस्तावेजों में उधारकर्ता द्वारा चयनित भुगतान के तरीके/भुगतान की तारीख के बावजूद, उधारदाता किसी भी अन्य भुगतान साधन के ज़रिए किश्तों और बकाया सहित बाकी सभी राशियों के भुगतान और/या संग्रह की मांग करने का हकदार होगा, अगर कोई लागू है, तो उधारकर्ता द्वारा उधारदाता के पक्ष में जारी किया गया हो या किस्तों और बकाया सहित बाकी सभी राशियों के भुगतान या दुबारा भुगतान करने का कोई दूसरे तरीके का इस्तेमाल किया गया हो।

10.9 उधारकर्ता द्वारा उधारदाता के पक्ष में जारी किए गए सभी भुगतान उपकरण सुविधा के तहत उधारदाता को बकाया और देय बकाया के निर्वहन के उद्देश्य से हैं और इसे सुरक्षा के रूप में जारी करने का प्रस्ताव नहीं है। किसी भी उद्देश्य के लिए। भुगतान उपकरणों का उपयोग उधारदाता द्वारा किसी भी समय किया जाना है, जैसा कि उधारदाता उचित और उचित समझे, ताकि उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को दी गई बकाया राशि की वसूली की जा सके, और उधारकर्ता इस बात से सहमत है, आवेदन पत्र और अन्य प्रासंगिक सुविधा निष्पादित करके। दस्तावेज़, उधारकर्ता ने बिना शर्त और अटल रूप से उधारदाता को इसके लिए अधिकृत किया है।

10.10 यदि सुविधा के संबंध में देय किसी भी राशि के संबंध में नियत तिथि उस दिन पड़ती है जो उस स्थान पर व्यावसायिक दिवस नहीं है जहां भुगतान किया जाना है, तो तुरंत पिछला व्यावसायिक दिवस ऐसे भुगतान के लिए नियत तिथि माना जाएगा। ब्याज के भुगतान के मामले में, यदि ऐसा पिछला दिन व्यावसायिक दिवस नहीं है, तो ब्याज का भुगतान तुरंत अगले व्यावसायिक दिवस पर किया जाएगा। चेक/अन्य लिखत के मामले में, भुगतान उधारकर्ता द्वारा केवल उस समय किया गया माना जाएगा जब राशि ऋणदाता के खाते में पूरी तरह से जमा और वसूल हो जाती है, भले ही लिखत की तारीख या प्राप्ति का समय या लिखत की प्रस्तुति का समय कुछ भी हो।

10.11 उधारकर्ता को, उस संबंध में उधारदाता द्वारा पूर्व लिखित अनुमोदन के अधीन, उधारदाता को जारी किए गए भुगतान उपकरणों को वैकल्पिक भुगतान उपकरणों के साथ बदलने/विनिमय करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि सुविधा दस्तावेजों में निर्दिष्ट शुल्कों का उधारदाता को भुगतान किया जाए।

10.12 किसी भी भुगतान उपकरण का कोई भी अनादर, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 या भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 25, जैसा भी मामला हो, के तहत अपराध माना जाएगा।

10.13 अगर उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को सौंपे गए कोई एक या उससे ज़्यादा या सभी भुगतान उपकरण: (i) उधारदाता या उसके एजेंट की देख-रेख से खो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं, या (ii) गैर-नकदयोग्य हो जाते हैं किसी भी कारण से; फिर, उधारकर्ता/उधारकर्ता के निष्पादक/उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारी, सुविधा दस्तावेजों में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, ऐसे भुगतान उपकरणों के नुकसान, विनाश या गैर-नकदीकरण या गलत स्थान (जैसा भी मामला हो) की कोई सूचना प्राप्त करेंगे। उधारदाता या ऐसे भुगतान उपकरणों पर या उनमें से किसी के किसी भी कारण से भुनाए जाने योग्य नहीं होने पर, ऐसे भुगतान उपकरणों को बदलने के लिए तुरंत उधारदाता को इतनी संख्या में नए भुगतान उपकरण वितरित करें। प्रतिस्थापन भुगतान लिखत सुविधा दस्तावेज़ों में उल्लिखित तरीके से या उधारदाता द्वारा निर्देशित अनुसार तैयार किए जाएंगे। किसी भी कारण से किसी भी भुगतान उपकरण के उधारदाता की ओर से कोई भी गैर-प्रस्तुति किसी भी तरह से सुविधा दस्तावेजों के तहत या सुविधा के संबंध में बकाया भुगतान / चुकाने के लिए उधारकर्ता की देनदारी या उसके अन्य दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी। .

10.14 उधारकर्ता उधारदाता को उसके द्वारा दिए गए किसी भी या सभी भुगतान उपकरणों को जमा न करने या फिर नकद न करने का कोई निर्देश नहीं देगा। यदि उधारकर्ता या उधारकर्ता की ओर से कोई अन्य व्यक्ति ऐसे निर्देश देता है, तो यह माना जाएगा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881/भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत अभियोजन से बचने के लिए ऐसा किया गया था। भुगतान उपकरणों का कोई भी अनादर या उन्हें किसी भी कारण से बिना भुगतान किए लौटाए जाने से यह अनुमान लगाया जाएगा कि, शुरुआत से ही उधारकर्ता का भुगतान उपकरणों का सम्मान करने का कोई इरादा नहीं था और उन्हें धोखाधड़ी से हासिल करने के गलत इरादे से दिया गया था। सुविधा और उधारकर्ता इस संबंध में लागू किसी भी कानून के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

10.15 जब संबंधित भुगतान उपकरण परिपक्व और देय हो जाते हैं, तो देय तिथि (तारीखों) पर और उसके तुरंत पहले उधारकर्ता द्वारा जारी किए गए भुगतान उपकरणों की निकासी के लिए उधारकर्ता के पास अदाकर्ता बैंक के खाते में पर्याप्त शेष राशि होनी चाहिए और उसे बनाए रखना होगा। ऐसे किसी भी भुगतान उपकरण का सम्मान करें।

10.16 यदि सुविधा ओवरड्राफ्ट सीमा के रूप में है, तो उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है कि वह प्रत्येक महीने के अंतिम कारोबारी दिन को या उससे पहले उधारकर्ता के खाते में ऐसी राशि जमा करेगा जो उधारकर्ता द्वारा उपयोग की गई सीमा के लिए उस महीने की पूरी अवधि के लिए ऋणदाता को ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त होगी। स्पष्टता के लिए, ब्याज के लिए जमा की जाने वाली राशि ऊपर उल्लिखित परिचालन सीमा से अधिक मूल राशि (यदि कोई हो) के लिए उधारकर्ता द्वारा किए गए भुगतान/जमा के अतिरिक्त (और बदले में नहीं) होगी।

10.17 उधारकर्ता इसके द्वारा ऋणदाता को उधारकर्ता के खाते से उक्त राशियों के भुगतान के लिए संबंधित नियत तिथियों पर या उससे पहले या अन्यथा ऋणदाता के विवेक के अनुसार डेबिट करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है। ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए परिवर्तनों के कारण सहित, समय-समय पर ब्याज की उक्त दर को बदलने का भी हकदार होगा, जिसकी सूचना उधारकर्ता (ओं) को दी जाएगी और यह उधारकर्ता (ओं) पर बाध्यकारी होगी। उधारकर्ता समय-समय पर लागू होने वाले सभी ब्याज करों का भी भुगतान करेगा और वहन करेगा, यदि कोई हो।

10.18 जहां सुविधा ओवरड्राफ्ट सीमा के रूप में है, उधारकर्ता प्रत्येक सीमा परिवर्तन तिथि पर ऋणदाता को ऐसी राशि (राशियाँ) चुकाएगा जो उस महीने के लिए लागू परिचालन सीमा से अधिक है ("कमी राशि")। इसके अलावा, उधारकर्ता (ओं) ओवरड्राफ्ट सीमा से संबंधित संपूर्ण बकाया राशि, किसी भी अन्य बकाया राशि के साथ, कार्यकाल के अंत में या ऋणदाता द्वारा मांग किए जाने पर, जो भी पहले हो, का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करेगा।

11. अग्रिम भुगतान करना

उधारकर्ता मंजूरी पत्र में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार पूरी बकाया राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से चुकाने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके अलावा, हर अग्रिम भुगतान पर, इस अनुबंध की अनुसूची 1 में निर्धारित अग्रिम भुगतान से जुड़े शुल्क ऐसी दरों पर लागू होंगे जो उधारदाता द्वारा समय-समय पर तय की जा सकती हैं। अग्रिम भुगतान की स्थिति में, उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि अग्रिम भुगतान से जुड़ा शुल्क का भुगतान उधारकर्ता द्वारा इस समझौते की शर्तों के अनुसार और बिना किसी दबाव के उधारकर्ता की स्वतंत्र इच्छा और सहमति से किया जाता है। इसके अलावा, उधारकर्ता सहमत है और स्वीकार करता है कि एक बार अग्रिम भुगतान से जुड़े शुल्क का भुगतान कर दिया जाता है और उधारदाता द्वारा नो-ड्यूज़ प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है, तो उधारकर्ता किसी भी समय किसी भी कारण से उधार दाता से कोई राशि वापस नहीं ले सकता।

ओवरड्राफ्ट: उधारकर्ता समय से पहले ऋण खाते को बंद करने (अर्थात, कार्यकाल की समाप्ति से पहले बंद करने) का हकदार होगा, जो कि अनुसूची II, शुल्क अनुसूची (एसओसी) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार है, जिसे समय-समय पर ऋणदाता की वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है। यदि उधारकर्ता सभी बकाया राशि का पूर्व भुगतान करके और इस सुविधा को समाप्त करके खाते को समय से पहले बंद करने का इच्छुक है, तो उधारकर्ता ऋणदाता को समय से पहले बंद करने के शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि अनुसूची II, शुल्क अनुसूची (एसओसी) में उल्लेख किया गया है, जिसे समय-समय पर ऋणदाता की वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है।

उधारकर्ता एतद्द्वारा सहमत है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता उधारकर्ता के निम्नलिखित बैंक खातों से ही फोरक्लोज़र, आंशिक-पूर्व भुगतान और पूर्व भुगतान शुल्क की अनुमति देगा: (i) वेतनभोगी उधारकर्ता(ओं) के लिए उधारकर्ता का वेतन खाता; या (ii) सुविधा के पुनर्भुगतान के उद्देश्य से ऋणदाता के साथ पंजीकृत पुनर्भुगतान खाता।

12. टर्म लोन और ओडी की विधि

(i) विनियोग का क्रम

जब तक ऋणदाता द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए या लागू कानून द्वारा आवश्यकता न हो, उधारकर्ता से प्राप्त कोई भी भुगतान निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा:

क. बकाया ब्याज, यदि हो;

ख. बकाया मूलधन;

ग. बकाया दंडात्मक शुल्क;

घ. बकाया बाउंसिंग शुल्क;

ङ. अन्य शुल्क, जिसमें प्रसंस्करण शुल्क, कानूनी लागत, या बीमा प्रीमियम शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं;

च. भविष्य का मूलधन राशि।

(ii) मानक और बकाया ऋणों के लिए विनियोग (0-90 डीपीडी खाते)

मानक संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत या ऋण जिनमें बकाया ईएमआई (मासिक किस्त भुगतान) हैं लेकिन 90 दिनों से अधिक की देयता (डीपीडी) नहीं है, के लिए भुगतान बकाया किश्तों के कालानुक्रमिक क्रम में लागू किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप, यदि माह 1 (एम 1) और माह 2 (एम 2) की ईएमआई (मासिक किस्त भुगतान) बकाया हैं, तो भुगतान निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा:

क. एम 1 ब्याज;

ख. एम 1 मूलधन;

ग. एम 2 ब्याज;

घ. एम 2 मूलधन;

ङ. एम 1 दंडात्मक शुल्क;

च. एम 1 बाउंसिंग शुल्क;

छ. एम 1 अन्य;

ज. एम 2 दंडात्मक शुल्क;

झ. एम 2 बाउंसि

ञ. एम 2 अन्य;

(iii) गैर-निष्पादित संपत्तियों के लिए विनियोग (90 + डीपीडी खाते)

यदि सुविधा को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, तो भुगतान निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा:

क. बकाया मूलधन;

ख. बकाया ब्याज;

ग. बकाया दंडात्मक शुल्क;

घ. बकाया बाउंसिंग शुल्क;

ङ. अन्य शुल्क

गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत ऋणों या 90 दिनों से अधिक की देयता (डीपीडी) वाले बकाया ईएमआई (मासिक किस्त भुगतान) वाले ऋणों के लिए, भुगतान बकाया किस्तों के कालानुक्रमिक क्रम में लागू किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप, यदि माह 1 (एम 1) और माह 2 (एम 2) की ईएमआई (मासिक किस्त भुगतान) बकाया हैं, तो भुगतान निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा:

क. एम 1 मूलधन

ख. एम 1 ब्याज

ग. एम 2 मूलधन

घ. एम 2 ब्याज

ङ. एम 1 दंडात्मक शुल्क

च. एम 1 बाउंसिंग शुल्क

छ. एम 1 अन्य

ज. एम 2 दंडात्मक शुल्क

झ. एम 2 बाउंसिंग शुल्क

ञ. एम 2 अन्य

(iv) धोखाधड़ी या लिखित संपत्तियाँ

धोखाधड़ी या लिखित संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए, कोई भी भुगतान पहले कुल (भविष्य) मूलधन की बकाया राशि पर लागू किया जाएगा, फिर बकाया ब्याज, बकाया दंडात्मक ब्याज, बकाया बाउंसिंग शुल्क, और अन्य सभी बकाया शुल्कों पर लागू किया जाएगा।

(v) ऋणदाता की विवेकाधीन शक्ति

उपरोक्त के बावजूद, ऋणदाता यह अधिकार सुरक्षित रखते हैं कि वे विनियोग के क्रम को बिना पूर्व सूचना के अपनी पूर्ण विवेकाधिकार पर संशोधित कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी संशोधन ऋणी पर बाध्यकारी होगा।

(vi) अधिशेष भुगतान

ऋणी द्वारा सुविधा के तहत देय राशि से अधिक किया गया कोई भी अधिशेष भुगतान ऋणदाता की मानक नीति के अनुसार संपत्ति की शेष राशि के रूप में व्यवहार किया जाएगा, जिसके विवरण अनुरोध पर उपलब्ध होंगे

13. प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार

प्रत्यायोजन का अधिकार ऋणदाता, स्वयं या अपने कार्यालय के कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक या अधिक व्यक्ति ("सेवा प्रदाता") को नियुक्त करने का हकदार होगा, जैसा कि उधारदाता चयन कर सकता है और ऐसे पक्ष को सभी या किसी को भी सौंप सकता है। सुविधा दस्तावेजों के तहत इसके कार्य, अधिकार और शक्तियां, जिसमें उधारदाता की ओर से उधारकर्ता से सभी बकाया राशि प्राप्त करने और उससे जुड़े और आकस्मिक सभी वैध कार्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने और निष्पादित करने के अधिकार और अधिकार शामिल हैं। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देता है कि सेवा प्रदाताओं के खिलाफ किसी भी दावे के लिए, उधारदाता उत्तरदायी नहीं होगा और इस खाते पर उधारकर्ता का दावा केवल सेवा प्रदाताओं के खिलाफ होगा।

14. उधारदाता के अधिकार सुविधा के संबंध में उधारदाता:

i. इस करार की अवधि के दौरान किसी भी समय पुनर्भुगतान शर्तों/ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) की राशि या किसी अन्य बकाया राशि को संशोधित/पुनर्निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार होगा और उधारकर्ता उधारदाता द्वारा इस तरह के संशोधन या पुनर्निर्धारण की सूचना दिए जाने पर इस तरह के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार उधारदाता को सभी भविष्य के पुनर्भुगतान करेगा;

ii. इस अनुबंध की किसी भी शर्तों और शर्तों में संशोधन करने का एकमात्र अधिकार है, जिसमें ब्याज दर/एपीआर (एपीआर (एन्युअल परसेन्टेज रेट)) (दंड शुल्क/ दंडात्मक शुल्क सहित), चक्रवृद्धि ब्याज की आवधिकता, पुनर्भुगतान के क्रेडिट को प्रभावित करने की विधि शामिल है, लेकिन किसी भी कारण को बताए बिना या उधारकर्ता को सूचित किए बिना और उधारकर्ता सहमत है कि इस तरह का संशोधन उधारदाता के रिकॉर्ड में इस तरह के संशोधन की तारीख से लागू होगा;

iii. उधारकर्ता के बारे में कोई भी जानकारी, उधारदाता के साथ उसके/उसके खाते के संबंध और/या उसके द्वारा की गई किसी भी चूक (चाहे ऐसी जानकारी उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई हो या उधारदाता द्वारा स्वयं प्राप्त की गई हो और चाहे वह पुनर्भुगतान आचरण, रेटिंग या चूक के रूप में हो) का खुलासा करने का हकदार होगा। अपने प्रधान कार्यालय, अन्य शाखा कार्यालयों, संबद्ध संस्थाओं, भारतीय रिज़र्व बैंक, किसी भी पुनर्वित्त एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और ऐसे तीसरे पक्ष को, जैसा कि उधारदाता अपने एकमात्र और अनन्य विवेक में, उचित और उचित समझे। उधारदाता किसी भी तीसरे पक्ष से सुविधा और/या उधारकर्ता के संबंध में किसी भी जानकारी को प्राप्त करने और प्राप्त करने का हकदार होगा; और

iv. उधारकर्ता को यह अधिकार होगा कि अगर उधारकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व नौकरी से त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनता है या किसी भी कारण से ऐसी तारीख से पहले सेवा से मुक्त या हटा दिया जाता है, तो वह अपने नियोक्ता को संपूर्ण बकाया राशि (भविष्य निधि, उपदान और मुआवजा सहित) का भुगतान करने का निर्देश दे, जो ऋणी को उसके नियोक्ता द्वारा उसकी ऐसी सेवा समाप्ति के कारण देय हो रही है और उसे प्राप्त करने और सुविधा के तहत ऋणी के दायित्व के लिए उसे उपयुक्त बनाने का निर्देश दे।

v. उधारकर्ता इसके द्वारा उधारदाता को खाते या उधारकर्ता के किसी अन्य खाते को डेबिट करने और उधारकर्ता से किसी भी नोटिस या सहमति के बिना, उधारकर्ता द्वारा बकाया राशि के भुगतान / पुनर्भुगतान के लिए किसी भी राशि को उधार देने के लिए अपरिवर्तनीय और बिना शर्त अधिकृत करता है। जब इसका कोई भी हिस्सा देय हो जाता है, जिसमें कटौती राशि, ब्याज, शुल्क, दंड शुल्क/ दंडात्मक शुल्क , यदि कोई हो, अन्य धनराशि आदि शामिल हैं।

vi. बैलेंस ट्रांसफर के मामले में, यदि वितरण चेक 30 दिन या उससे अधिक समय से नकद नहीं किया गया है या अनक्लियर रहा, तो इसे बकाया ऋण के समायोजन के लिए माना जाएगा, यदि कोई बकाया हो।

15. **ऋणदाता का जांच करने का अधिकार**

उधारकर्ता सहमत है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता को अपनी विवेकाधिकार पर, किसी भी समय, आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों के माध्यम से, उधारकर्ता के खातों और गतिविधियों का ऑडिट करने का अधिकार होगा। उधारकर्ता ऐसे ऑडिट में पूरी तरह से सहयोग करेगा और ऋणदाता या नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा अनुरोधित सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करेगा। उन मामलों में जहां ऑडिट रिपोर्ट अनिर्णायक रहती है या उधारकर्ता द्वारा असहयोग के कारण देरी होती है, ऋणदाता अपने रिकॉर्ड और अपनी आंतरिक जांच/मूल्यांकन पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर खाते की स्थिति को धोखाधड़ी या अन्यथा के रूप में निष्कर्ष निकालेगा। ऐसे ऑडिट से

संबंधित सभी लागत और व्यय उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे। यह खंड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां आरबीआई/डीओएस/2024-25/120, डीओएस.सीओ.एफएमजी.एसईसी.नंबर.7/23.04.001/2024-25 दिनांक 15 जुलाई, 2024 में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई मास्टर निर्देशों के अनुपालन में है।

16. उधारकर्ता के प्रतिनिधित्व, वारंटी, वाचाएं और उपक्रम

16.1 उधारदाता को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से, उधारकर्ता, इसके द्वारा उधारदाता के साथ प्रतिनिधित्व करता है/वारंट करता है/ वाचा करता है/ उपक्रम करता है कि वह-

(i) आवेदन प्रपत्र में अपने बारे में पूरी और सही जानकारी और विवरण दिया है;
(ii) किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी (सार्वजनिक या निजी) के समक्ष उसके विरुद्ध कोई लंबित दावा, मांग, मुकदमेबाजी या कार्यवाही नहीं है;
(iii) यह सुनिश्चित करेगा कि जिस उद्देश्य के लिए उधारदाता द्वारा सुविधा को आगे बढ़ाया गया है, वह सभी प्रकार से पूरा हो और उधारदाता को आवश्यक दस्तावेज, जैसा कि उधारदाता द्वारा आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाए;
(iv) उधारदाता द्वारा अपेक्षित बैंक विवरण/बयानों के अतिरिक्त अपने रोजगार, व्यवसाय या अन्यथा के संबंध में ऐसी अन्य सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जो उधारदाता समय-समय पर अपेक्षित कर सकता है;
(v) उधारदाता से किसी भी नोटिस या अनुस्मारक की आवश्यकता के बिना, उधारदाता को सुविधा का तुरंत भुगतान करेगा;
(vi) एक से अधिक उधारकर्ता होने की स्थिति में) संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से सुविधा, ब्याज और इस समझौते के तहत देय और देय सभी अन्य रकम चुकाने और इसके नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा;
(vii) जहां लागू हो, उधारदाता को उसकी/उसकी रोजगार में किसी संभावित परिवर्तन की सूचना देगा;
(viii) किसी तृतीय-पक्ष दायित्व या दायित्व के लिए ज़मानत या गारंटर नहीं होगा;
(ix) भारत में निवासी होते हुए, ब्याज और अन्य देय राशियों सहित पूर्व भुगतान प्रभारों, यदि कोई हो, के साथ उस समय बकाया और देय सुविधा का पूर्णतः भुगतान किए बिना रोजगार या व्यवसाय या लंबे प्रवास या पीईपी के लिए भारत नहीं छोड़ेगा;
(x) सुविधा से संबंधित और समय-समय पर लागू उधारदाता के नियमों के बारे में खुद को जागरूक रखेगा।
(xi) न तो उधारकर्ता द्वारा इस समझौते का निष्पादन और वितरण, और न ही इसके नियमों और प्रावधानों का अनुपालन या प्रदर्शन किसी भी लागू कानून के प्रावधान का उल्लंघन करेगा, या संवैधानिक दस्तावेजों या किसी समझौते या अन्य दस्तावेज़ के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करेगा जिससे उधारकर्ता या उसकी कोई भी संपत्ति बाध्य हो सकती है।
(xii) उधारकर्ता के वेतन बचत खाते/खातों के बंद होने या मौजूदा बैंक से किसी अन्य बैंक में स्थानांतरित होने की स्थिति में, उधारकर्ता ऐसे बंद होने या खाते के स्थानांतरण के 15 दिनों के भीतर, उधारदाता की संतुष्टि के लिए किसी अन्य वैकल्पिक भुगतान की व्यवस्था करेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) मैंडेट या नए एनएसीएच (नैशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस) मैंडेट या ई-एनएसीएच (इलेक्ट्रॉनिक- नैशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस) मैंडेट के माध्यम से या पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी (पोस्ट डेटेड चेक)) जमा करके किश्तों का भुगतान, जिसमें विफल रहने पर उधारदाता के पास उधारकर्ता की बकाया सुविधा को वापस बुलाने का विकल्प होगा।
(xiii) उधारकर्ता, मांग के तीन (03) दिनों के भीतर, उधारदाता को अभी और/या भविष्य में, किसी भी लागत, व्यय, हानि और/या देयता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा, जो उधारदाता द्वारा किसी भी सुविधा दस्तावेजों के तहत या उसके संबंध में किसी भी चूक/उल्लंघन/डिफ़ॉल्ट की घटना के परिणामस्वरूप उधारदाता द्वारा किसी भी घटना की जांच के लिए किए गए खर्चों के संबंध में किया गया है, जिस पर उसे विश्वास है कि यह एक डिफ़ॉल्ट/उल्लंघन है; या किसी नोटिस, अनुरोध या निर्देश पर काम करना या उस पर भरोसा करना, जिसे वह उचित रूप से वास्तविक, सही और उचित रूप से अधिकृत मानता है। यह खंड इस एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद भी कायम रहेगा।
(xiv) उधारकर्ता इसके ज़रिए ज़रिए यह घोषणा करता है और उधारदाता को क्षतिपूर्ति देता है, कि अभी और/या भविष्य में, उधारकर्ता ने सुविधा का लाभ उठाने के लिए उधारदाता से संपर्क किया है और बैलेंस ट्रांसफ़र आवेदन के प्रसंस्करण के लिए अपेक्षित दस्तावेज़ मुहैया करेगा। इसके अलावा, फौजदारी (पूरा अग्रिम भुगतान) राशि में किसी भी कमी के मामले में; मौजूदा कर्ज़ को बंद करने के लिए कमी की राशि का भुगतान उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा। चेक या बाकी किसी भुगतान के अस्वीकृत होने की स्थिति में उधारदाता को किसी भी सुविधा

दस्तावेज़ के तहत या उसके संबंध में उधारदाता द्वारा किए गए किसी भी लागत, खर्च, हानि और/या दायित्व के खिलाफ़ अभी और/या भविष्य में उधारदाता को क्षतिपूर्ति भी देनी होगी।

(xv) उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि सुविधा दस्तावेजों पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाए और उसके दृष्टिकोण में, उधारकर्ता ऋणदाता को, अभी और/या भविष्य में, किसी भी लागत, खर्च, हानि और/या दायित्व के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो ऋणदाता द्वारा या सुविधा दस्तावेजों में से किसी के संबंध में वहन किया गया है, इस घटना में स्टाम्प शुल्क अधिकार क्षेत्र के स्थान के अनुसार अपर्याप्त रूप से भुगतान किया जाता है।

(xvi) उधारकर्ता कर्ज़ चुकाने योग्य है और उसके खिलाफ़ व्यक्तिगत और/या व्यक्तिगत गारंटर के रूप में दिवालियेपन के लिए कोई कार्यवाही दायर नहीं की गई है।

(xvii) यहां उधारकर्ता के खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।

(xviii) उधारकर्ता यहां उल्लिखित सभी लागत, शुल्क, प्रभार वगैरह का भुगतान करेगा। इसके अलावा, उधारकर्ता सभी करों, शुल्कों, शुल्कों (कानूनी शुल्क सहित), खर्चों, अग्रिमों, शुल्कों, स्टांप शुल्क और दंड का भुगतान करेगा, यदि कोई हो।

16.2 उधारकर्ता इसके द्वारा पुष्टि करता है कि उधारकर्ता के किसी भी निदेशक/साझेदार/नामित भागीदार का उधारदाता के किसी निदेशक/निदेशकों या ऐसे निदेशकों के रिश्तेदारों से कोई संबंध नहीं है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के उप-खंड 77 के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, उधारदाता के किसी भी निदेशक या उसके/उसके रिश्तेदारों या वरिष्ठ अधिकारियों या किसी अन्य उधारदाता के निदेशकों के पास उधारकर्ता(ओं) में कोई हित नहीं है। उधारकर्ता आगे पुष्टि करता है कि उधारकर्ता के किसी भी निदेशक/साझेदार का उधारदाता के किसी वरिष्ठ अधिकारी से कोई संबंध नहीं है। इस खंड के प्रयोजन के लिए, 'वरिष्ठ अधिकारी' शब्द का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत 'वरिष्ठ प्रबंधन' शब्द को सौंपा गया है।

16.4 उधारकर्ता स्वीकार करता है और सहमत है कि ऋणदाता को ऑडिटर या किसी स्वतंत्र ऑडिटर को एक अलग अधिदेश देने का अधिकार है, जैसा कि ऋणदाता उधारकर्ता द्वारा धन के डायवर्जन/गबन के संबंध में एक विशिष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त करने की दृष्टि से उचित समझे। उधारकर्ता ऐसे ऑडिटर के साथ सहयोग करने और समय-समय पर ऐसे ऑडिटर द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत है और वचन देता है।

17. डिफ़ॉल्ट की घटनाएँ और डिफ़ॉल्ट की घटनाओं के परिणाम

उधारदाता उधारकर्ता को लिखित नोटिस देकर, सुविधा के तहत बकाया सभी रकमों (मूलधन, ब्याज, दंड शुल्क/ दंडात्मक शुल्क , अन्य शुल्क, खर्च सहित) को सुविधा के संबंध में तुरंत देय घोषित कर सकता है, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक के होने पर (केवल उधारदाता के निर्णय पर): (i) उधारकर्ता इस अनुबंध के तहत देय और भुगतान योग्य किसी भी राशि का भुगतान उधारदाता को करने में विफल रहता है। (ii) उधारकर्ता उधारदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को देय और भुगतान योग्य किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है या उधारदाता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति उधारकर्ता की सुविधा या बकाया या देयता का पुनर्भुगतान ऐसे व्यक्ति के साथ पहले से सहमत पुनर्भुगतान शर्तों से पहले मांगता है। (iii) उधारकर्ता इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में चूक करता है या इस अनुबंध के किसी भी नियम या शर्त का उल्लंघन करता है और इसे महत्वपूर्ण शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके दृष्टिकोण में दंड शुल्क/ दंडात्मक शुल्क लागू होगा। (iv) उधारकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु से पहले इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनता है या किसी भी कारण से ऐसी तारीख से पहले सेवा से मुक्त या हटा दिया जाता है (v) सुविधा का लाभ उठाने के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी या उसके किसी भी प्रतिनिधित्व, वारंटी को गलत या असत्य पाया जाना या बनना; (vi) उधारदाता के अलावा कोई भी व्यक्ति उधारकर्ता को दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही शुरू करता है या यदि उधारकर्ता दिवालिया या दिवालिया हो जाता है या दिवालियापन का कार्य करता है; (vii) उधारकर्ता की मृत्यु या स्थायी विकलांगता; (viii) उधारकर्ता द्वारा कोई भी धोखाधड़ी करना; (ix) सुविधा दस्तावेजों के तहत निर्धारित की जा सकने वाली किसी भी अन्य शर्त की गैर-संतुष्टि; (x) सुविधा के अनुदान के बाद, अगर उधारकर्ता (एक व्यक्ति होने के नाते) तलाकशुदा है या उसके लिए किसी भी पारिवारिक अदालत में कोई कार्यवाही की जाती है या शुरू की जाती है या शुरू की जाती है या अन्यथा या यदि कोई पारिवारिक समझौता या भागीदारों के बीच विवाद है; (xii) यदि यहां बताए अनुसार कोई क्रॉस डिफ़ॉल्ट होता है: (ए) उधारकर्ता का कोई भी कर्ज़ देय होने पर या मूल रूप से लागू होने वाली किसी भी रियायती अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है; (बी) किसी भी कर्ज़ से संबंधित कोई भी डिफ़ॉल्ट (हालांकि वर्णित); (सी) उधारकर्ता के किसी भी ऋण के लिए कोई भी प्रतिबद्धता किसी भी लेनदार/उधारदाता द्वारा डिफ़ॉल्ट के परिणामस्वरूप रद्द या निलंबित कर दी जाती है (चाहे वर्णित कुछ भी हो);(डी) उधारकर्ता का कोई भी लेनदार डिफ़ॉल्ट (हालांकि वर्णित) के परिणामस्वरूप किसी भी कर्ज़ को उसकी निर्दिष्ट परिपक्वता से पहले देय और देय घोषित करने का हकदार हो जाता है; (ई) किसी अन्य कर्ज़ को सुरक्षित करने के लिए उधारकर्ता की किसी

भी संपत्ति पर कोई भी भार लागू हो जाता है; या (च) यदि उधारदाता और उधारकर्ता के बीच किए गए एक या उससे ज़्यादा समझौतों या साधनों के तहत कोई डिफ़ॉल्ट है; (xiii) चेक या किसी भुगतान साधन/साधनों का अपमान; (xviii) उधारदाता की सहमति के बिना उधारकर्ता द्वारा निर्देशों में निरसन या रद्दीकरण या परिवर्तन या भुगतान-रोक आदेशों/निर्देशों को रद्द करना या जारी करना; (xix) इस अनुबंध के खंड 16.2 में निर्धारित शर्तों की गलत घोषणा और/या गैर-अनुपालन कर्ज़ और अग्रिमों के संबंध में निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नियामक प्रतिबंधों से संबंधित है। (xx) ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना उधारकर्ता के स्वामित्व, नियंत्रण, संविधान, समामेलन, विलय या पुनर्निर्माण में परिवर्तन; (xxi) दिवाला कानूनों के तहत उधारकर्ता के खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी आवेदन को दाखिल करना; (xxii) आईबीसी के तहत किसी भी कार्यवाही को दाखिल करने या फास्ट ट्रैक समाधान प्रक्रिया या स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया या नई शुरुआत प्रक्रिया या आईबीसी के तहत दिवालियापन के लिए निदेशकों या शेयरधारकों द्वारा किसी भी संकल्प को पारित करना; (xxiii) उधारकर्ता या उनकी किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी संपत्ति की जब्ती, जब्ती या जारी किया गया कोई भी नोटिस।

डिफ़ॉल्ट की घटनाओं के परिणाम

डिफ़ॉल्ट की घटना होने पर, ऋणदाता, उनके पास मौजूद किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उधारकर्ता(ओं) को नोटिस देकर, निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं:
क) बकाया राशि, अवैतनिक मूलधन राशि या सुविधा के संबंध में ब्याज, और अन्य सभी दायित्व और उधारकर्ता(ओं) द्वारा यहां और सुविधा दस्तावेजों के तहत देय अन्य सभी राशियों को बिना किसी प्रस्तुति, मांग, विरोध या किसी भी प्रकार की अन्य सूचना के तुरंत देय और भुगतान योग्य घोषित करना, जिनमें से सभी को यहां स्पष्ट रूप से माफ कर दिया गया है, इसके विपरीत यहां कुछ भी निहित होने के बावजूद;
ख) सुविधा की परिपक्वता को तेज करना और सुविधा के संबंध में बकाया सभी राशियों को तुरंत देय और भुगतान योग्य घोषित करना।
ग) सुविधा/बकाया दायित्वों को रद्द या निलंबित घोषित करना;
घ) सुविधा दस्तावेजों या लागू कानून के तहत अनुमत या उपलब्ध ऐसे अन्य उपायों का प्रयोग करना, जिसमें ऋणदाता द्वारा आवश्यक सलाहकारों की नियुक्ति शामिल है;
ङ) सुविधा की समीक्षा करना और/या अतिरिक्त सुरक्षा सहित अतिरिक्त शर्तों को निर्धारित करना;
च) लेनदारों की प्रक्रिया के लिए मुकदमा करना;
छ) दंडात्मक शुल्क लगाना;
ज) सुविधाओं का पुनर्मूल्यांकन करना;
झ) किसी भी बीमा या मुआवजे की आय के भुगतान के संबंध में नोटिस जारी करना;
ञ) उधारकर्ता के दायित्वों को चुकाने के लिए गारंटी प्रदाताओं, यदि कोई हो, को बुलाना;
ट) ऋणदाता के पास उपलब्ध ग्रहणाधिकार के अधिकार के संबंध में अपने अधिकारों का प्रयोग करना;
ठ) बकाया राशि की सेवा और पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता के खातों में किसी भी राशि का उपयोग करना;
ड) उधारकर्ता और/या उधारकर्ता के बोर्ड के निदेशकों के नामों को जानबूझकर चूक करने वालों के रूप में, इस तरह से और ऐसे माध्यम में प्रकट या प्रकाशित करना, जैसा कि ऋणदाता और/या आरबीआई और/या क्रेडिट सूचना कंपनियां, अपने पूर्ण विवेक में उचित समझें;
ढ) प्रबंधन संरचना और बोर्ड की समीक्षा करना और प्रबंध निदेशक या प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियों को धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति या पुन: नियुक्ति के लिए शर्तों की समीक्षा करना, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए;
ण) ऋणदाता द्वारा आवश्यक होने पर बोर्ड में एक नामित व्यक्ति और/या पर्यवेक्षक नियुक्त करना;
त) उधारकर्ता के बोर्ड में एक पर्यवेक्षक नियुक्त करना;
थ) उधारकर्ता के कामकाज और/या परिसंपत्तियों, जिसमें उसके परिसर, कारखाने, संयंत्र और इकाइयां शामिल हैं, का निरीक्षण और जांच करने और ऋणदाता को रिपोर्ट करने के लिए तकनीकी, प्रबंधन या किसी अन्य परामर्श व्यवसाय में लगे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करना;
द) किसी भी विशिष्ट कार्य को करने या उधारकर्ता द्वारा अपने कामकाज के लिए अपनाई गई वित्तीय या लागत लेखा प्रणाली और प्रक्रियाओं की जांच करने या समवर्ती या आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में, या उधारकर्ता की विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए लेखा परीक्षकों के रूप में किसी भी चार्टर्ड एकाउंटेंट/लागत लेखाकार को नियुक्त करना;
ध) बकाया शेष को इक्विटी या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करना। उधारकर्ता को शेयरधारक संकल्प/प्राधिकरण प्रदान करना होगा जो ऋणदाता को ऐसे रूपांतरणों को सुविधाजनक बनाने का अधिकार देगा;

न) उधारकर्ता के खर्च पर, उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ, आपराधिक, दीवानी या अन्यथा प्रकृति की ऐसी कानूनी और अन्य कार्यवाही/कार्रवाई शुरू करना, आगे बढ़ाना, बचाव करना, जैसा कि ऋणदाता द्वारा आवश्यक समझा जाए, अंतर आलिया बकाया राशि की वसूली के लिए;

प) उपरोक्त को प्रभावी करने और/या इस समझौते के तहत ऋणदाता के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक या आवश्यक चीजें, कार्य, लेखन करना, निष्पादित करना, हस्ताक्षर करना, वितरित करना; और

फ) सुविधा दस्तावेजों और लागू कानून के तहत ऋणदाता के लिए उपलब्ध ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना।

उपरोक्त उप-खंडों के अनुसार किसी भी निलंबन या समाप्ति के बावजूद, ऋणदाता और उसके हितों के लाभ या सुरक्षा के लिए सुविधा दस्तावेजों के सभी प्रावधान सुविधा दस्तावेजों में विशेष रूप से प्रदान किए गए अनुसार पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेंगे।

18. क्रॉस डिफ़ॉल्ट:

उधारकर्ता द्वारा किसी भी समझौते, व्यवस्था और/या उसके किसी भी कर्ज़ (चाहे वास्तविक या आकस्मिक, या प्राथमिक या संपार्श्विक, या संयुक्त और/या कई) के तहत उधारकर्ता द्वारा भौतिक शर्तों के किसी भी चूक और/या चूक को उधारदाता या उसकी सहायक कंपनियों/साथी सहायक कंपनियों/सहबद्धों/उधारदाता के हिस्से के रूप में किसी अन्य इकाई के साथ, सुविधा के तहत चूक की घटना का गठन करेगा और इसके विपरीत। ऋणदाता, उसके सहयोगी और उधारदाता से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों के पास अन्य सभी, वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के धन, प्रतिभूतियों, किसी भी प्रकार और प्रकृति की जमाओं, उधारकर्ता के क्रेडिट से संबंधित सभी अन्य संपत्तियों और संपत्तियों पर/के खिलाफ़ एक सर्वोपरि ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ़ का अधिकार होगा (चाहे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अकेले या संयुक्त रूप से आयोजित किया गया हो) जो जमा किए गए हैं: उधारदाता के नियंत्रण में/उसके सहयोगियों और/या उधारदाता से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों के साथ किसी भी अनुबंध के तहत उधारकर्ता द्वारा किसी भी क्षमता में प्रवेश किया जाना है, भले ही ऐसी जमाओं को कर्ज़ के समान मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उधारदाता, उसके सहयोगी और उधारदाता से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों को बकाया राशि के निपटान के लिए उधारकर्ता को किसी भी और नोटिस के साथ या उसके बिना ऐसी सभी राशियों/संपत्तियों/संपत्तियों के खिलाफ़ ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ़ के ऐसे अधिकार का इस्तेमाल करने का हकदार और अधिकृत किया जाएगा। इस संबंध में, उधारदाता द्वारा अपने सहयोगियों और/या उधारदाता से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों को दिया गया कोई भी निर्वहन उधारकर्ता पर वैध और बाध्यकारी होगा। इसके अलावा, उधारकर्ता इसके द्वारा उधारदाता को उधारदाता के सहयोगियों और/या उधारदाता से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों को भुगतान करने के लिए अधिकृत करता है, उधारकर्ता द्वारा उधारदाता के ऐसे सहयोगियों और/या उधारदाता से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों को देय किसी भी राशि के लिए, उधारदाता द्वारा उधारकर्ता से प्राप्त/वसूल की गई किसी भी अतिरिक्त धनराशि से।

19. सह-ऋण व्यवस्था

क. उधारकर्ता एतद्द्वारा स्वीकार करता है कि ऋणदाता 05 नवंबर, 2020 के अधिसूचना दिनांकित 'बैंकों और एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को सह-ऋण' ('सह-ऋण दिशानिर्देश') शीर्षक के तहत आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक) द्वारा अधिसूचित सह-ऋण दिशानिर्देशों के तहत पात्र बैंकों/एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) के साथ सह-ऋण व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है। इस व्यवस्था के अनुसार, आवश्यक उचित परिश्रम करने के बाद, बैंक सुविधा दस्तावेजों के तहत अधिकारों, हितों या दायित्वों के एक हिस्से का अधिग्रहण कर सकता है, जो ऋणदाता द्वारा विस्तारित सुविधा का अस्सी प्रतिशत (80%) तक हो सकता है। इस तरह के असाइनमेंट के बावजूद, ऋणदाता सुविधा की पूरी अवधि के लिए उधारकर्ता के लिए संपर्क/इंटरफेस के एकल बिंदु के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखेगा। परिणामस्वरूप, उधारकर्ता सुविधा से संबंधित किसी भी मुद्दे, पूछताछ, सर्विसिंग आवश्यकताओं या शिकायतों पर सीधे बैंक के साथ बातचीत करने या जुड़ने के लिए बाध्य नहीं है।

ख. इसके अलावा, बैंक के पक्ष में सुविधा या उसके किसी भी हिस्से के असाइनमेंट पर, ऋणदाता, बैंक के साथ अपने सह-ऋण व्यवस्था की शर्तों के अनुसार, उधारकर्ता को सुविधा से संबंधित सभी भुगतान या पुनर्भुगतान एक निर्दिष्ट एस्क्रो खाते में करने का निर्देश दे सकता है। इस तरह के अनुरोध को उधारकर्ता को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा, और उधारकर्ता ऐसे भुगतान जमा करने के लिए ऋणदाता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत होता है। एस्क्रो खाते को ऋणदाता और बैंक के बीच सहमत सह-ऋण शर्तों के अनुरूप प्रबंधित किया जाएगा।

ग. इस खंड से सहमत होकर, उधारकर्ता सुविधा के बैंक को संभावित असाइनमेंट को स्वीकार करता है और स्वीकार करता है जैसा कि यहां वर्णित है और ऋणदाता द्वारा संचारित भुगतान निर्देशों में किसी भी बदलाव का पालन करने के लिए सहमत होता है।

20. बहुभागी-कर्ज़:

(क) उधारकर्ता द्वारा एतद्द्वारा घोषित और सहमति दी जाती है कि उधारकर्ता ने (i) ऋण के लिए आवेदन करते समय पहले से प्राप्त और खुलासा किए गए ऋणों के अलावा किसी अन्य ऋणदाता/बैंक/वित्तीय संस्थान से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है और न ही प्राप्त करने की योजना बनाई है (एएफएल) और (ii) ऋणदाता (एएफएल) से प्राप्त सुविधा के वितरण की तारीख से अगले 30 दिनों के भीतर कोई और ऋण नहीं लेगा, जिससे उसकी/उसके/उनके मासिक ईएमआई दायित्व मासिक शुद्ध आय से अधिक हो जाएंगे, उस संबंध में ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना।

(ख) उधारकर्ता ऋणदाता को किसी भी और सभी ऋणों/वित्तीय सहायता की लिखित में सूचना देने के लिए भी बाध्य, जिम्मेदार और कर्तव्यबद्ध होगा, जो उधारकर्ता द्वारा किसी अन्य ऋणदाता/बैंक/वित्तीय संस्थान/तृतीय-पक्ष/पक्षों से प्राप्त की गई है या किसी भी वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है (स्वीकृत और साथ ही अभी तक स्वीकृत नहीं), और/या उधारकर्ता द्वारा किसी भी तीसरे पक्ष/पक्षों को सुविधा के वितरण या सुविधा की पहली किश्त के वितरण से पहले 30 दिनों की अवधि के लिए प्रदान की गई या प्रस्तावित कोई भी गारंटी (व्यक्तिगत और/या कॉर्पोरेट), जैसा भी मामला हो। यदि ऋण सुविधा की अवधि के दौरान किसी भी बाद के समय में, ऋणदाता को पता चलता है कि उधारकर्ता ने ऋणदाता को अग्रिम रूप से लिखित में सूचित किए बिना किसी अन्य ऋणदाता/बैंक/वित्तीय संस्थान से बहुविध धन प्राप्त किया है और/या उधारकर्ता बहु ऋण पर इस खंड की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो यह सुविधा दस्तावेजों के उधारकर्ता की ओर से चूक/उल्लंघन की घटना को ट्रिगर करेगा और ऋणदाता उधारकर्ता को ऋणदाता द्वारा दी गई पूरी ऋण सुविधा को ब्याज और दंड शुल्क के साथ वापस लेने का हकदार होगा, जो सुविधा के लिए प्रासंगिक अनुसूची(अनुसूचियों) में निर्दिष्ट दर पर, देय राशि पर, उस तारीख से जिस दिन चूक की घटना होती है और उधारकर्ता के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करता है, जिसमें नागरिक और/या आपराधिक कार्रवाई शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

21. कार्यभार और अंतरण

ऋणदाता को सुविधा और सुविधा के तहत बकाया राशि या इस समझौते या इसके अनुसार किसी अन्य दस्तावेज़ के तहत किसी भी अन्य अधिकार को किसी भी व्यक्ति को बेचने या स्थानांतरित करने (कार्यभार , प्रतिभूतिकरण या अन्यथा के माध्यम से) का अधिकार होगा, जो ऋणदाता अपने विवेकाधिकार में तय कर सकता है। उधारकर्ता ऋणदाता को भविष्य में किसी भी समय, सुविधा, सुविधा समझौते और/या सुविधा दस्तावेजों के तहत बैंक के सभी या किसी भी अधिकार और/या दायित्वों को किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) को और इस तरह के तरीके से और ऐसी शर्तों पर प्रतिभूतिकरण, बेचने, असाइन करने या स्थानांतरित करने के लिए अग्रिम सहमति देता है, जैसा कि ऋणदाता तय कर सकता है।

उधारकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत है कि, उपरोक्त बिक्री या हस्तांतरण की स्थिति में, वह उस व्यक्ति को स्वीकार करेगा जिसे सुविधा बेची या हस्तांतरित की गई है, और ऋणदाता द्वारा निर्देशित किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को सुविधा का पुनर्भुगतान करेगा।

उधारकर्ता इस समझौते के तहत अपने अधिकारों को स्थानांतरित या असाइन नहीं करेगा।

22. सुविधा के रिकॉर्ड

उधारदाता अपने कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक/कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणालियों को अपने सामान्य अभ्यास के अनुसार बनाए रखेगा या बनाए रखेगा, जो सुविधा दस्तावेजों के तहत वितरित और देय राशि का साक्ष्य देगा और उधारदाता के इलेक्ट्रॉनिक से ऐसे कंप्यूटर से उत्पन्न/रखे गए प्रमाण पत्र/विवरण/खाते होंगे। उधारकर्ता द्वारा टर्मिनलों का विरोध नहीं किया जाएगा और उसमें की गई प्रविष्टियां उधारकर्ता के दायित्वों के अस्तित्व और मात्रा का निर्णायक साक्ष्य होंगी और किसी भी कानूनी कार्रवाई या उससे संबंधित कार्यवाही में हासिल, दोबारा हासिल की गई और व्यय की गई राशि शामिल होगी। सुविधा दस्तावेज़ और उधारकर्ता किसी भी समय किसी भी तरीके से इसका विरोध नहीं करेंगे। उधारकर्ता द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है कि उधारदाता सुविधा से संबंधित ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) पुनर्भुगतान का त्रैमासिक विवरण उधारकर्ता के साथ साझा

करेगा। ऐसे त्रैमासिक विवरण प्राप्त होने के 5 (पांच) दिनों के भीतर उधारकर्ता ऐसे विवरणों में देखी गई विसंगतियों, यदि कोई हो, को उठाने का हकदार होगा, ऐसा न करने पर संबंधित त्रैमासिक विवरण को उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया हुआ माना जाएगा।

23. उधारदाता द्वारा एजेंट की नियुक्ति

उधारदाता को कानून के तहत और इन वर्तमान के तहत उपलब्ध अधिकार, हक और उपचार, उधारदाता द्वारा अपने किसी भी कर्मचारी या एजेंट के माध्यम से प्रयोग किए जाएंगे और उधारदाता उक्त शक्तियों और अधिकारियों में से किसी या सभी को ऐसे कर्मचारी या एजेंट को सौंप सकता है।

24. विविध

(क). उधारकर्ता आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की सटीकता की पुष्टि करता है और आगे पुष्टि करता है कि आवेदन की तारीख के बाद कोई भी भौतिक परिवर्तन या बदलाव नहीं हुआ है जो किसी भी तरह से ऋणदाता द्वारा दी गई राशि की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

(ख). उधारकर्ता घोषणा करता है और पुष्टि करता है कि वह किसी भी प्रकार के मुकदमे का पक्षकार नहीं है जो सुरक्षा को प्रभावित करता है और उधारकर्ता को ऐसे किसी भी मुकदमे या किसी भी भौतिक दावों या किसी कर अधिकारियों या अन्य वैधानिक अधिकारियों से पूछताछ की संभावना के बारे में पता नहीं है।

(ग). सबसे महत्वपूर्ण जानकारी में निर्दिष्ट सभी या कोई अन्य शर्तें इस समझौते का एक अभिन्न अंग होंगी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का हमेशा इस समझौते के साथ हर समय उपयोग किया जाएगा।

(घ). सुविधा की राशि पर ब्याज केएफएस में निर्दिष्ट दर पर समझौते पर लागू किया जाएगा।

(ङ). इस करार के किसी अन्य शब्द के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस करार के तहत उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को किया गया कोई भी भुगतान उधारदाता द्वारा निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा-

(i) चुकौती की किश्त;

(ii) बकायों पर ब्याज और चूक की गई राशि/राशियों पर लाभ की हानि;

(iii) पूर्व भुगतान प्रभार; बाउंस प्रभार और शुल्क, जहां तक लागू हो और;

(iv) लागत, प्रभार और व्यय जो उधारदाता सेवा के लिए खर्च कर सकता है, और सुविधा, ब्याज और उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को इस समझौते के तहत देय और देय सभी रकम की वसूली कर सकता है;

(च). इस समझौते की किसी अन्य शर्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को भुगतान की गई कोई भी पूर्व-भुगतान/अधिशेष राशि; उधारकर्ता से किसी विशिष्ट निर्देश के अभाव में नीचे दी गई मानदंड/ कार्यप्रणाली के आधार पर कर्ज़ खाते में विनियोजित की जाएगी:

(i) ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) से ज़्यादा (>) अतिरिक्त राशि: यदि आंशिक भुगतान (आंशिक पूर्व-भुगतान) / फौजदारी (पूरा अग्रिम-भुगतान) के लिए सेवा अनुरोध (एसआर- सर्विस रिक्वेस्ट) धन की प्राप्ति के 2 कार्य दिवसों के भीतर नहीं बनाया/प्राप्त किया जाता है, तो अतिरिक्त धनराशि को कर्ज़ अवधि पर आंशिक भुगतान (आंशिक पूर्व-भुगतान) / फौजदारी (पूर्ण पूर्व-भुगतान) के रूप में प्रभाव देकर बकाया मूलधन की ओर समायोजित किया जाएगा। अगर कोई बकाया है, तो उसे पहले समायोजित किया जाएगा और शेष राशि को आंशिक अग्रिम-भुगतान के लिए माना जाएगा। फौजदारी (पूरा अग्रिम-भुगतान) अनुरोध के मामले में अतिरिक्त राशि कुल फौजदारी (पूरा अग्रिम-भुगतान) देय राशि के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

(ii) ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) के बराबर अतिरिक्त राशि: यदि सेवा अनुरोध (एसआर- सर्विस रिक्वेस्ट)/आंशिक भुगतान (आंशिक पूर्व-भुगतान) के लिए निर्देश धन की प्राप्ति के उसी दिन नहीं बनाए/प्राप्त किए जाते हैं, तो अतिरिक्त राशि उधारकर्ता के कर्ज़ चुकौती परिचालन खाते में वापस कर दी जाएगी। अग्रिम मामलों में भुगतान की गई ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) को धनवापसी प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा।

(iii) ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) से कम (<) अतिरिक्त राशि: अतिरिक्त राशि को कर्ज़ खाते में 3 कार्य दिवसों तक के लिए अप्रयुक्त रखा जाएगा; 3 कार्य के बाद अतिरिक्त धनराशि उधारकर्ता के कर्ज़ चुकौती परिचालन खाते में वापस कर दी जाएगी।

(छ). पक्षकार सहमत हैं कि इस समझौते के तहत सुविधा के उधारदाता के रूप में उधारदाता द्वारा अपने किसी भी अधिकार, शक्तियों या उपचारों का प्रयोग करने में कोई देरी या चूक या इसके बाद के दस्तावेजों के अनुसार अधिकार, शक्ति या उपाय को ख़राब नहीं करेगा या इसकी छूट या उधारदाता द्वारा सहमति के रूप में व्याख्या की जाएगी।

(ज). पक्षकार पुष्टि करते हैं कि यह अनुबंध और इसकी अनुसूचियां और इस अनुबंध के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज़ पक्षकारों के बीच एक एकल समझौते का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(झ). यह एग्रीमेंट पक्षों के बीच सभी पूर्व चर्चाओं और अभ्यावेदनों को अधिगृहीत करता है, जिसमें उधारदाता विवरणिका भी शामिल है, सिवाय उधारदाता को उधारकर्ता द्वारा किए गए दायित्वों और अभ्यावेदन के संबंध में किसी भी पत्राचार, आवेदन के फ़ॉर्म में या अन्यथा किए गए या सहमत होने के लिए सहमत हैं।

(ञ). इस समझौते, सुरक्षा और इसके बाद के अन्य दस्तावेज़ों पर भारत के कानून लागू होंगे। इसके द्वारा पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस समझौते से उत्पन्न और/या संबंधित सभी विवाद, जिसमें कोई भी संबंधित दस्तावेज़ शामिल हैं, दिल्ली/मुंबई ("स्थान") में स्थित न्यायालयों/अधिकरणों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे। बशर्ते कि कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, ऋणदाता को किसी भी अन्य स्थान के किसी भी न्यायालय/अधिकरण में किसी भी विवाद से संबंधित कार्यवाही करने का अधिकार होगा, जिसका अन्यथा क्षेत्राधिकार है।

(ट). पक्षकारों के पते अनुसूची "I" के तहत उल्लिखित होंगे। उधारकर्ता उधारदाता को अपने पते (वर्तमान निवास और कार्यालय) में किसी भी बदलाव की तुरंत सूचना देगा।

(ठ). इस एग्रीमेंट के तहत किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाने वाली कोई भी सूचना या अनुरोध केवल लिखित रूप में दिया जाएगा और अनुसूची "I" में उल्लिखित दूसरे पक्ष के पते पर भेजा जाएगा (या उधारकर्ता के मामले में, उधारकर्ता के पते पर उधारदाता को अंतिम ज्ञात): (i) अगर उधारदाता द्वारा दिया गया है, तो व्यक्तिगत वितरण, फैक्स या डाक द्वारा या पंजीकृत ईमेल, एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)स, त्वरित संदेश सेवाओं जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से पंजीकृत संपर्क विवरण पर दिया जा सकता है और माना जाएगा कि उधारकर्ता द्वारा या उसके द्वारा प्राप्त किया गया है, यदि व्यक्तिगत वितरण द्वारा दिया जाता है, जब ऐसा दिया जाता है और अगर डाक द्वारा 3 दिनों की समाप्ति पर उसी को उधारकर्ता को अग्रेषित करने के लिए डाकघर में जमा किया जाता है, तो पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के तहत और यदि पंजीकृत ईमेल या एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)स या इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाओं जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे ही यह उधारदाता के आउटबॉक्स/डिवाइस को छोड़ देता है, यह मानते हुए कि उधारकर्ता ने नोटिस या अनुरोध प्राप्त कर लिया है, जैसा भी मामला हो; और (ii) अगर उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को दिया जाता है जब यह वास्तव में उधारदाता द्वारा प्राप्त किया जाता है। उधारकर्ता द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि सभी संचारों की एक प्रति निम्नलिखित को चिह्नित की जाएगी: एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड

एक्सिस हाउस, ग्राउंड फ्लोर, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, वर्ली, मुंबई - 400025

कृपया ध्यान दें:

कृपया ध्यान दें: शिकायत निवारण अधिकारी - सुश्री मंगल सारंग,

मोबाइल नंबर- +91-8655749343

ई-मेल: mangal.sarang@axisfinance.in

(ड). उधारकर्ता सहमत है और स्वीकार करता है कि पूर्व-शर्त के रूप में, उधारकर्ता को कर्ज़/अग्रिम/अन्य गैर-निधि आधारित कर्ज़ संबंधित सुविधाओं के अनुदान से संबंधित और संबंधों में गारंटी प्रदान करने के लिए, उधारदाता को उधारकर्ता की सहमति की आवश्यकता होती है उधारदाता द्वारा दी गई/दी जाने वाली कर्ज़ की सुविधाओं के लिए उधारदाता द्वारा उधारकर्ता से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के लिए, उधारकर्ता द्वारा प्राप्त/उपलब्ध कराई जाने वाली किसी भी कर्ज़ की सुविधा, उधारकर्ता द्वारा उसके संबंध में ग्रहण की गई बाध्यताओं और चूक, यदि कोई हो, उसके निर्वहन में प्रतिबद्ध है। उसी तरह, उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत है और उधारदाता द्वारा प्रस्तुत सभी या किसी भी ऐसे प्रकटीकरण के लिए सहमति देता है:

i उधारकर्ता से संबंधित सूचना और आंकड़े;

ii उधारकर्ताओं के दायित्वों से संबंधित जानकारी या डेटा किसी भी कर्ज़ की सुविधा में उधारदाता द्वारा दी गई/ दी जाने वाली;

iii उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता(ओं) के ऐसे दायित्व के निर्वहन में की गई चूक, यदि कोई हो, जिसे उधारदाता उचित और आवश्यक समझे

iv क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों (सीआईसी) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को प्रकट करने और प्रस्तुत करने के लिए।

ढ. ग्रहणाधिकार और समायोजन:

ऋणदाता को उधारकर्ता के सभी धन पर ग्रहणाधिकार और समायोजन का अधिकार होगा जो ऋणदाता या उसके सहयोगियों के साथ किसी भी खाते में उनके क्रेडिट में खड़े हैं। यदि ऋणदाता द्वारा मांग करने पर ऋण खाते में बकाया राशि निर्धारित समय के भीतर / नियत तारीखों पर / ऋणदाता द्वारा मांग पर चुकाई नहीं जाती है, तो किसी भी खाते में इस तरह के क्रेडिट बैलेंस को ऋण खाते के तहत बकाया राशि के लिए समायोजित किया जा सकता है। किसी भी कमी के मामले में, ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता से कमी राशि वसूल की जा सकती है।

25. जानकारी का प्रकटीकरण

i उधारकर्ता इसके द्वारा उधारदाता को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 3(13) में परिभाषित 'वित्तीय जानकारी' का खुलासा करने/प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट सहमति देता है, जैसा कि संहिता के तहत बनाए गए प्रासंगिक विनियमों/नियमों के साथ पढ़ा गया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित और लागू होता है और जैसा कि समय-समय पर वहां निर्दिष्ट किया गया है, उधारदाता से प्राप्त क्रेडिट/वित्तीय सुविधाओं के संबंध में, समय-समय पर, किसी भी 'सूचना उपयोगिता' (संक्षेप में 'आईयू') को संहिता की धारा 3(21) में परिभाषित किया गया है, संहिता के तहत बनाए गए प्रासंगिक विनियमों के अनुसार, और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को समय-समय पर जारी किए गए निर्देश और इसके द्वारा उधारदाता द्वारा प्रस्तुत 'वित्तीय जानकारी' को तुरंत प्रमाणित करने के लिए विशेष रूप से सहमत हैं, जैसा कि संबंधित 'आईयू' द्वारा अनुरोध किया गया है। उधारकर्ता घोषणा करता है कि उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को दी गई जानकारी और डेटा सही और सही हैं उधारकर्ता यह वचन देता है कि - (I) क्रेडिट सूचना कंपनियां (सीआईसी) सूचना उपयोगिताओं (आईयू) और/या कोई अन्य अधिकृत एजेंसी उक्त का उपयोग, प्रसंस्करण कर सकती है। उधारदाता द्वारा उचित समझे गए तरीके से प्रकट की गई सूचना और तारीख और (ii) क्रेडिट सूचना कंपनियां (सीआईसी) सूचना उपयोगिताएं (आईयू) और/या अन्य अधिकृत एजेंसी विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती हैं, उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित सूचना और डेटा या उत्पाद, बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट गारंटरों या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

ii उधारकर्ता सहमत है कि उधारदाता द्वारा उधारकर्ता को दी गई सुविधा की पूर्व-शर्त के रूप में कि अगर उधारकर्ता देय तिथि/तिथियों पर बकाया राशि के भुगतान/पुनर्भुगतान में चूक करता है, तो उधारदाता और/या भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उधारकर्ता चूककर्ता/चुककर्ताओं के नामों का खुलासा करने या प्रकाशित करने का एक अयोग्य अधिकार होगा, इस तरह से और इस तरह के ज़रिए से जैसा कि उधारदाता और/या भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी पूरी समझ से उधारकर्ता की तस्वीरों सहित उचित समझ सकते हैं।

iii उधारकर्ता इसके द्वारा उधारदाता को अपना इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी प्रमाणीकरण करने और आधार डेटाबेस से और/या लागू कानून द्वारा अनुमत किसी अन्य स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी डेटा प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है।

iv उधारकर्ता उधारदाता, उसके विभिन्न सेवा प्रदाताओं या एजेंटों, जिनमें विपणन, संग्रह और वसूली एजेंट शामिल हैं, को उधारकर्ता को टेलीफ़ोन, ई-मेल, टेलीफोन, संदेश, एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)स, व्हाट्सएप या अन्य अनुप्रयोगों के ज़रिए या अन्यथा संपर्क करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत/सहमति देता है, भले ही उधारकर्ता का नाम डो नॉट कॉल या डो नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर में दिखाई देता है, ताकि उधारकर्ता को विपणन योजनाओं, विभिन्न वित्तीय और/या निवेश उत्पादों और/या अन्य सेवाओं की पेशकश, सुविधा दस्तावेजों के तहत बकाया या उधारकर्ता द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली किसी भी सुविधा से संबंधित किसी अन्य पहलू के बारे में सूचित किया जा सके। उधारकर्ता यह भी स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि उधारदाता और उसके सहयोगियों, सहयोगियों और/या समूह कंपनियों के टेली-कॉलर, एजेंटों और/या सेवा प्रदाता से ऐसे ई-मेल, टेलीफ़ोन कॉल, संदेश, एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)स, व्हाट्सएप संदेश आदि से उसे और/या उसके परिवार के सदस्यों को कोई असुविधा नहीं होगी। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देता है कि सेवा प्रदाताओं के खिलाफ किसी भी दावे के लिए, उधारदाता उत्तरदायी नहीं होगा और इस खाते पर उधारकर्ता का दावा सेवा प्रदाताओं और/या टेली-कॉलर के खिलाफ़ होगा। उधारकर्ता संचार या सूचना या दस्तावेजों को साझा करने के लिए ई-मेल, संदेश, एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)स, व्हाट्सएप और/या अन्य अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए सहमत है, ऐसे अनुप्रयोगों के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है और ऐसे अनुप्रयोगों या उनके माध्यम से जानकारी साझा करने से जुड़े जोखिमों से सहमत है।

v उधारकर्ता, ऋणदाता या उसके किसी भी सेवा प्रदाता को केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री या इस संबंध में किसी अन्य प्रासंगिक इकाई या व्यक्ति से डेटा, जिसमें सीकेवाईसी रिकॉर्ड शामिल हैं, को अपलोड/जमा करने के साथ-साथ किसी भी तरीके से डाउनलोड या प्राप्त करने और केवाईसी और पुनः केवाईसी उद्देश्यों के साथ-साथ सुविधा के संबंध में किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए उक्त डेटा का उपयोग करने के लिए सहमति देता है।

26. मध्यस्थता

i. पक्षकार सहमत हैं कि इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इसके संबंध में किसी भी विवाद को एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा, जिसे संशोधित किया जा सकता है, या इसका पुनः अधिनियमन किया जा सकता है। यदि पक्षकार मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहते हैं, तो मध्यस्थ को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, कोई भी पक्षकार एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए किसी भी मध्यस्थ संस्थान से संपर्क कर सकता है, जैसा कि उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, और यदि संपर्क किया गया संस्थान उपलब्ध नहीं है या अनुरोध की तारीख से 3 (तीन) कार्य दिवसों की अवधि के भीतर मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध का जवाब नहीं देता है, तो अगले संस्थान से संपर्क किया जा सकता है। पक्षकार आगे सहमत हैं कि उक्त मध्यस्थता कार्यवाही ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) और/या फास्ट ट्रैक मध्यस्थता के माध्यम से भी की जा सकती है।

ii. मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार अंतिम होगा और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। ऐसी मध्यस्थता की लागत हारने वाले पक्ष द्वारा वहन की जाएगी या अन्यथा मध्यस्थता पुरस्कार में निर्धारित की जाएगी। मध्यस्थता का स्थान वह स्थान होगा या ऐसा अन्य स्थान होगा जो ऋणदाता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यदि किसी पक्ष को किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने की आवश्यकता होती है, तो जिस पक्ष के खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाती है, वह सभी उचित लागत और व्यय और अटॉर्नी की फीस का भुगतान करेगा, जिसमें पुरस्कार को लागू करने के लिए इच्छुक पार्टी द्वारा की गई अतिरिक्त मुकदमेबाजी या मध्यस्थता की कोई भी लागत शामिल है।

iii. मध्यस्थता कार्यवाही मुख्य रूप से दस्तावेजों पर आधारित होगी जो शारीरिक रूप से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और सभी अभिवचन और दस्तावेजों का आदान-प्रदान शारीरिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। ऐसे मामलों में, सुनवाई शारीरिक रूप से या वस्तुतः मध्यस्थ के एकमात्र विवेक पर आयोजित की जाएगी।

iv. पक्षकार मध्यस्थता कार्यवाही को वस्तुतः या शारीरिक रूप से या हाइब्रिड रूप से करने के लिए सहमत हैं, जैसा कि मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ईमेल पता और मोबाइल नंबर जैसा कि उपलब्ध है, प्रदान किया गया है या अन्यथा अनुबंध में संदर्भित किया गया है, इस उद्देश्य के लिए माना जाएगा। प्रत्येक पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान अपने ईमेल पते और/या मोबाइल नंबर में किसी भी बदलाव की स्थिति में ऊपर उल्लिखित संस्थान को सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

v. यहां निहित किसी भी बात को ऋणदाता के अधिकारों और उपायों को बुझाने, सीमित करने या बाहर करने के रूप में नहीं माना जाएगा, यदि वर्तमान में या भविष्य में उधारकर्ता के खिलाफ उपलब्ध है, यदि कोई हो और/या कोई अन्य व्यक्ति, या उनकी संबंधित संपत्तियां, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और/या कोई दिवाला कानून, और ऋणदाता ऐसे अधिकारों/उपायों का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से हकदार होगा, भले ही किसी अन्य मध्यस्थता या अन्य कार्यवाही की शुरुआत, लंबितता या निरंतरता हो।

vi. बशर्ते कि ऋणदाता अपने विवेक पर उधारकर्ता के खिलाफ अलग या सामान्य/संयुक्त कार्यवाही/कार्रवाई शुरू/दाखिल/जारी रखने का अधिकार रखेगा और यह स्पष्ट किया जाता है कि ऋणदाता, अपने विवेक पर, इस समझौते और/या सुविधा दस्तावेजों के अनुसार शुरू की गई या शुरू करने का प्रस्ताव की गई किसी भी मध्यस्थता या अन्य कानूनी कार्यवाही को एक या अधिक अन्य संबंधित दस्तावेजों के तहत शुरू की गई या शुरू करने का प्रस्ताव की गई किसी भी मध्यस्थता या अन्य कानूनी कार्यवाही के साथ समेकित और संयोजित करने का हकदार होगा।

27. गलती, दुर्घटना या त्रुटि से भुगतान

(i) उधारकर्ता एतद्द्वारा सहमत है और पुष्टि करता है कि यदि ऋणदाता गलती से, दुर्घटना से या त्रुटिपूर्ण ढंग से उधारकर्ता को या उधारकर्ता के खाते में कोई धन हस्तांतरित या प्रेषित करता है, जो धन, ऋणदाता की एकमात्र राय में, उधारकर्ता को देय और/या भुगतान योग्य नहीं है, तो उधारकर्ता बाध्य होगा, कर्तव्यबद्ध होगा और उत्तरदायी होगा और बिना किसी देरी, आपत्ति या विरोध के, तत्काल और किसी भी स्थिति में ऐसे हस्तांतरण/प्रेषण के

1 (एक) व्यावसायिक दिन के बाद या ऋणदाता द्वारा पहली मांग पर (जो भी पहले हो), उक्त धन को ऋणदाता को ऋणदाता के लिए संतोषजनक तरीके से वापस करेगा और चुकाएगा।

(ii) उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को उक्त 'गलत / अतिरिक्त धन' की वापसी और चुकौती तक, उधारकर्ता उसी को उधारदाता के लाभ के लिए ट्रस्ट में रखेगा, इस तरह के 'गलत / अतिरिक्त धन' को उधारकर्ता के अन्य सभी धन से अलग रखेगा और इसे किसी भी लगाव से मुक्त रखेगा।

(iii) उधारकर्ता इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि उपर्युक्त दायित्वों का कोई भी गैर-अनुपालन उधारकर्ता की ओर से विश्वास और प्रत्ययी कर्तव्यों का उल्लंघन होगा।

(iv) उधारकर्ता इसके द्वारा आगे सहमत है और पुष्टि करता है कि यदि उधारकर्ता उपर्युक्त समयसीमा के भीतर उक्त 'गलत / अतिरिक्त धन' वापस करने में विफल रहता है, तो उधारकर्ता इस समझौते के अनुसार दी गई सुविधा पर लागू उसी दर पर उधारदाता को ऐसे धन पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(v) पूर्वगामी के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत है और पुष्टि करता है कि उधारदाता को अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर अधिकार होगा (b) कर्ज़ के भविष्य के संवितरण (यदि कोई हो) से ऐसे धन की वसूली करना।

(vi) उधारकर्ता आगे सहमत है कि ऐसा 'त्रुटिपूर्ण/अतिरिक्त धन' जो ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को या उधारकर्ता के खाते में या किसी अन्य खाते में गलती से, दुर्घटना से या त्रुटिपूर्ण ढंग से हस्तांतरित या प्रेषित किया गया है, इस समझौते और अन्य सुविधा दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय कुल बकाया राशि का हिस्सा माना जाएगा, यदि और जब तक कि उक्त 'त्रुटिपूर्ण/अतिरिक्त धन' को ऊपर बताए गए तरीके से ऋणदाता को वापस नहीं किया गया है और चुकाया नहीं गया है।

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध का कोई भी प्रावधान किसी भी क्षेत्राधिकार के किसी भी कानून के तहत किसी भी तरह से अवैध, अमान्य या अप्रवर्तनीय है या हो जाता है, तो न तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता और न ही किसी अन्य क्षेत्राधिकार के कानून के तहत ऐसे प्रावधान की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित या बिगड़ा हुआ होगा।

28. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि डिफ़ॉल्ट के मामले में सुविधा की वसूली के लिए ऋणदाता एक रिकवरी एजेंट ("रिकवरी एजेंट") की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। रिकवरी एजेंट भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेगा, जो धमकी, उत्पीड़न या अपमानजनक भाषा के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। रिकवरी एजेंट भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा निर्दिष्ट अनुमेय घंटों के भीतर काम करेगा और वसूली उद्देश्यों के लिए कोई भी संचार पारस्परिक रूप से सहमत स्थान पर किया जाएगा। ऋणदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उधारकर्ता को लगे होने वाले रिकवरी एजेंट के विवरण के बारे में सूचित किया जाए।

29. उधारकर्ता(ओं) एतद्द्वारा सहमत होते हैं और वचन देते हैं कि आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक)/सीआईसी (क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी) द्वारा बनाए गए जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों की सूची में या किसी भी सावधानी सूची में जिसका नाम दिखाई देता है, उसे उधारकर्ता(ओं) के बोर्ड में या प्रबंधन के जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति बोर्ड में या प्रबंधन के प्रभारी के रूप में पाया जाता है, तो उधारकर्ता(ओं) ऐसे व्यक्ति को बोर्ड या प्रबंधन से हटाने के लिए शीघ्र और प्रभावी कदम उठाएगा। उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऐसे व्यक्ति को हटाने में विफलता की स्थिति में, ऋणदाता, अपने विवेक से, इसे डिफ़ॉल्ट की घटना के रूप में मान सकता है। इसके अलावा, जब तक ऐसा कोई व्यक्ति बोर्ड में बना रहे या उधारकर्ता(ओं) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार रहे, तब तक ऋणदाता उधारकर्ता(ओं) को प्रदान की गई मौजूदा सुविधाओं का नवीनीकरण, वृद्धि, ताजा ऋण सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा या पुनर्गठन नहीं करेगा। यह खंड जानबूझकर डिफॉल्टर और बड़े डिफॉल्टर आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक)/डीओआर (वित्तीय समावेशन विभाग) /2024-25/122, डीओआर.एफआईएन.आरईसी.संख्या 31/20.16.003/2024-25, दिनांक 30 जुलाई, 2024 के उपचार पर आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक) मास्टर निर्देश के अनुसार है।

30. उधारकर्ता(ओं) एतद्द्वारा सहमति देता है और स्वीकार करता है कि, जानबूझकर डिफॉल्टर्स और बड़े डिफॉल्टर्स के उपचार पर आरबीआई मास्टर निर्देश (आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक)/डीओआर (वित्तीय समावेशन विभाग)/2024-25/122, डीओआर.एफआईएन.आरईसी.नं.31/20.16.003/2024-25) के अनुसार, दिनांक 30 जुलाई, 2024, उधारकर्ता(ओं) को किसी भी आचरण की स्थिति में "जानबूझकर डिफॉल्टर" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जो उक्त आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक) मास्टर निर्देश के तहत परिभाषित जानबूझकर डिफॉल्ट का गठन करता है।

31.उधारकर्ता स्वीकार करता है कि ऋणदाता ने आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। ऋणदाता के निदेशक मंडल ने एएफएल और उसके ग्राहकों के बीच विवादों को हल करने के लिए संगठन के भीतर उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित किया है। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि ऋण संस्थानों के पदाधिकारियों के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को कम से कम अगले उच्च स्तर पर सुना और निपटाया जाए। ऋणदाता से संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी के साथ-साथ आरबीआई के स्थानीय कार्यालय का विवरण उधारकर्ता के लाभ के लिए ऋणदाता की शाखाओं/उन स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा जहाँ व्यवसाय किया जाता है। शिकायत निवारण तंत्र प्रक्रिया https://www.axisfinance.in/policies-and-standards/fair-practices-code पर उपलब्ध है और शिकायत निवारण अधिकारी का संपर्क विवरण इस प्रकार होगा:

एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, एक्सिस हाउस, ग्राउंड फ्लोर,
वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, वर्ली, मुंबई- 400025,
कृपा आकृष्ट करें: शिकायत निवारण अधिकारी-सुश्री मंगल सारंग,
ईमेल आईडी- mangal.sarang@axisfinance.in ,
मोबाइल नंबर- +91-8655749343

32. इस समझौते को उधारकर्ता द्वारा भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से निम्नानुसार स्वीकार किया जा सकता है: (क) यदि समझौता उधारकर्ता द्वारा भौतिक रूप से (गीले हस्ताक्षर) स्वीकार किया जाता है, तो इस समझौते के अंत में भौतिक हस्ताक्षर खंड लागू होंगे। हालाँकि, यदि समझौता उधारकर्ता द्वारा उप-खंड (ख) में उल्लिखित अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तो उधारकर्ता के भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी और समझौते के अंत में भौतिक हस्ताक्षर क्षेत्र, वहाँ दिखाई देने पर भी, गैर-लागू माने जाएंगे। (ग) उधारकर्ता द्वारा इस समझौते की इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति के मामले में, पक्ष यहाँ सहमत हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर मैनुअल/हस्तलिखित हस्ताक्षर के कानूनी समकक्ष हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर पक्षों पर वैध और बाध्यकारी होंगे। पक्ष इस बात से सहमत हैं कि यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा, भले ही समझौता इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित हो और उधारकर्ता की ओर से हस्ताक्षर, स्वीकृति और वितरण के लिए किसी अन्य कार्य, विलेख या लेखन या किसी भौतिक या गीले हस्ताक्षर या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। उधारकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (एक व्यक्ति के मामले में उधारकर्ता के, या गैर-व्यक्ति के मामले में उधारकर्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के) और ऋणदाता के प्रतिनिधि को या तो ई-सर्टिफिकेट या ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड सत्यापन) के साथ प्रमाणित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। उधारकर्ता एतद्द्वारा सहमत है कि वन टाइम पासवर्ड प्रदान/जमा करके, उधारकर्ता को यह समझौता और इसके कार्यक्रम पढ़ने और समझने के लिए समझा जाएगा।

अनुसूची V

तारीख - 29-अक्टूबर-24

को,

श्री मोहइद्दीन मस्तान कुरैशी ए,

12 अन्बु नगर, पलक्कड़ रोड, पोलाची, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर।

7904123162

विषय: एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के साथ आपके ऋण प्रकार व्यक्तिगत ऋण, ऋण आवेदन आईडी PLA00706888 के लिए मुख्य तथ्य विवरण।

प्रिय महोदय/महोदया,

हम आपको एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड (एएफएल) चुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आपको ऐसी प्रतिभूतियों के विरुद्ध क्रेडिट सुविधाएँ प्रदान करता है जैसा कि इसमें निर्धारित है।

हमें आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आपके आवेदन और हमें प्रदान की गई जानकारी के संदर्भ में, हमने आपको नीचे दिए गए नियमों और शर्तों पर एक व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किया है।

किसी भी वादे या प्रतिबद्धता के बारे में कम ब्याज दरों, शुल्क/प्रभारों की छूट, या अन्य लाभों का स्पष्ट रूप से नीचे उल्लेख नहीं किया गया है, उसे स्वीकार करने से पहले हमारे ध्यान में लाया जाना चाहिए। मुख्य तथ्य विवरण या ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले। लिखित ऋण समझौता किसी भी पूर्व प्रतिनिधित्व को या वितरण या आश्वासन के बाद किए गए किसी भी प्रतिनिधित्व को सुपरसीड करेगा। ऋण के वितरण के बाद इस संबंध में किए गए दावे या प्रतिनिधित्व विचार नहीं किया जाएगा

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया मुख्य तथ्य विवरण की समीक्षा करें और आगे बढ़ने के लिए उसी पर अपनी स्वीकृति साझा करें।

परिशिष्ट क

प्रमुख तथ्य विवरण

भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/प्रभार)

1	**ऋण प्रस्ताव/ खाता क्रमांक**	**PLA00706888**	**ऋण का प्रकार**	**व्यक्तिगत ऋण**
2	**स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)**		Rs.4,00,000	
3	**संवितरण अनुसूची**			
	i. **चरणों में या 100% अग्रिम में संवितरण।**		(i)[1]	

	(ii) यदि यह चरणबद्ध है, तो प्रासंगिक विवरण वाले ऋण समझौते के खंड का उल्लेख करें	(ii) उधारकर्ता, ऋणदाता को विधिवत भरा हुआ संवितरण अनुरोध प्रपत्र, जो अनुसूची VI में दिया गया है, ऋणदाता द्वारा सहमत तरीके से और तारीख पर देकर सुविधा का उपयोग कर सकता है। सुविधा का संवितरण या तो 100% अग्रिम रूप से या चरणों/किश्तों में, निम्नानुसार किया जाएगा: (क) निर्माणाधीन संपत्ति के लिए, संवितरण निर्माण के चरण के अनुसार किया जाएगा; (ख) बैलेंस ट्रांसफर लेनदेन के लिए, संवितरण चरणों/किश्तों में उधारकर्ता की आवश्यकतानुसार किया जाएगा; और (ग) किसी भी अन्य लेनदेन के लिए, संवितरण उधारकर्ता के अनुरोध के अनुसार किया जाएगा। ऊपर बताए गए तरीके से सुविधा का संवितरण, उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता द्वारा इस समझौते की शर्तों का पालन करने या ऋणदाता द्वारा अपने विवेकाधिकार पर अनुमति दिए जाने के अधीन होगा।
4	**ऋण अवधि (वर्ष/माह/दिन)**	60 महीने

5.किस्त विवरण			
किस्तों का प्रकार	**ईपीआई (समान आवधिक किस्त) की संख्या**	**ईपीआई (समान आवधिक किस्त) (₹)**	**स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत**
मासिक	60	रू.7,893 (ओडी सुविधा के लिए मासिक पुनर्भुगतान राशि मूलधन (सीमा ड्रॉप राशि) और ब्याज शुल्क (उपयोग के आधार पर) होगी)	30 दिनों के भीतर

6	**ब्याज दर (%) और प्रकार (स्थिर या अस्थायी या संकर)**	15.25% प्रति वर्ष निश्चित

7. **ब्याज की फ्लोटिंग दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी**

संदर्भ बेंचमार्क	**बेंचमार्क दर (%) (B)**	**प्रसार (%) (S)**	**अंतिम दर (%) R = (B) + (S)**	**आवर्तीता रीसेट करें (महीने)[2]**		**संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव (25 बीपीएस परिवर्तन के लिए 'आर' में परिवर्तन:)**	
				बी	एस	ईपीआई (समान आवधिक किस्त) (₹)	ईपीआई (समान आवधिक किस्त) की संख्या
एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड (एएफएल) संदर्भ दर	-	-	-	NA	NA	(□□) (ओडी सुविधा के लिए मासिक पुनर्भुगतान राशि मूलधन (सीमा ड्रॉप राशि) और ब्याज शुल्क (उपयोग के आधार पर) होगी)	-
** फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए रीसेट आवृत्ति घटना आधारित है।							
* कृपया ध्यान दें कि सुरक्षित ऋणों के लिए अधिकतम कार्यकाल 360 महीने और असुरक्षित ऋणों के लिए 60 महीने तक सीमित होगा							

AXIS FINANCE

8	**शुल्क/ प्रभार (जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) सहित)[3]**				
		आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) (ए) को देय		**आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) (बी) के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय**	
		एक बार/ आवर्ती	राशि (में ₹) या प्रतिशत (%) यथा लागू [4]	एक बार/ आवर्ती	राशि (में ₹) या प्रतिशत (%) यथा लागू
(i)	**ऋण आवेदन शुल्क (एचएल,एएचएल,एल एपी और एमएलएपी के मामले में प्रति कोलैटरल)**	एक बार	Rs.5,900	NA	NA
(ii)	**प्रसंस्करण शुल्क**	एक बार	Rs.5,900	NA	NA
(iii)	**बीमा शुल्क**	NA	NA	एक बार	Rs.4,776
(iv)	**मूल्यांकन शुल्क**	NA	NA	NA	NA
(v)	**कोई अन्य शुल्क [5] (सर्साई (केंद्रीय संपत्ति रजिस्ट्री और संपत्ति सुरक्षा प्राधिकरण शुल्क)**	एक बार	Rs.	NA	NA

1 प्रत्येक सुविधा के लिए निर्दिष्ट किया जाना है

2. निश्चित रीसेट, क्रेडिट प्रोफ़ाइल में बदलाव के अलावा

3.आरई जीएसटी जैसे किसी भी कर के शुद्ध राशि का खुलासा कर सकते हैं

4. आवृत्ति का उल्लेख करें, जहाँ आवर्ती

5.यहां किसी भी स्तर पर या किसी भी आकस्मिकता के मामले में लगाए जाने वाले सभी शुल्कों का उल्लेख किया जाना है

AXIS FINANCE

<table>
<tr><td>9</td><td>वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)</td><td>कृपया एनेक्सचर बी देखें - खुदरा और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) ऋणों के लिए एपीआर (वार्षिक प्रतिशत दर) की गणना का चित्रण।</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">सशर्त शुल्कों का विवरण (₹ या %, जैसा लागू हो)

(i) वित्तीय नियम और शर्तें
(ii) गैर-वित्तीय नियम और शर्तें</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>विलंबित भुगतान की स्थिति में दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो

वित्त दस्तावेज़ (ओं) के तहत देय किसी भी भुगतान में देरी के लिए दंडात्मक शुल्क</td><td>6% प्रति वर्ष प्लस बकाया राशि पर जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) (मूलधन बकाया / ब्याज बकाया / ईएमआई (समान आवधिक किस्त) बकाया) उस अवधि के लिए जिस अवधि तक उक्त राशि बकाया रहती है।</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>अन्य दंडात्मक शुल्क, (स्वीकृति की गैर-अनुपालन से संबंधित/समझौते की शर्तें)</td><td>
<table>
<tr><td>(1) प्रतिभूति सृजन में विलंब के लिए दंडात्मक शुल्क जैसा कि स्वीकृति पत्र की शर्तों में है</td><td>2% प्रति वर्ष प्लस जीएसटी (वस्तु और सेवा कर)। सुरक्षा निर्माण में विलंब या दंडात्मक शुल्क सुविधा की बकाया मूल राशि पर लगाया जाएगा, उस तिथि से प्रारंभ होगा जिस दिन सुरक्षा का निर्माण किया जाना था जब तक कि वह वास्तव में निर्मित नहीं हो जाती।</td></tr>
<tr><td>2 (a) स्वीकृति पत्र/सुविधा अनुबंध के अनुसार किसी अन्य महत्वपूर्ण नियम और शर्तों का पालन न करने से संबंधित दंडात्मक शुल्क

(b) स्वीकृति पत्र की शर्तों और नियमों के अनुसार दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत न करने से संबंधित दंडात्मक शुल्क</td><td>1% प्रति वर्ष और लागू जीएसटी (वस्तु और सेवा कर)।
इन अनुपालनों के लिए दंड शुल्क सुविधा की बकाया मूल राशि पर लगाया जाएगा, अनुपालन न करने के प्रत्येक उदाहरण के लिए, उल्लंघन की तारीख से उस तारीख तक की गणना की जाएगी जब तक कि स्वीकृति पत्र की शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं, अधिकतम 3% प्रति वर्ष के अधीन। कई मामलों में जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) के साथ उल्लंघन।</td></tr>
</table>
*उपरोक्त उल्लिखित दंड शुल्क भारतीय वस्तु और सेवा कर पर लागू कानूनों के अनुसार जीएसटी के अधीन होंगे, और जीएसटी अलग से लगाया जाएगा। उपरोक्त उल्लिखित दंड शुल्क लागू ब्याज दर के अतिरिक्त हैं। दंड शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं होगा।

महत्वपूर्ण शर्तें (बिंदु A(1) और B(1) और 2(b) के अंतर्गत शामिल महत्वपूर्ण शर्तों के अतिरिक्त)

1. चूक की घटना: स्वीकृति पत्र या अन्य वित्त दस्तावेजों के तहत किसी भी चूक की घटना का घटित होना, उधारकर्ता की वित्तीय चूक से संबंधित चूक की घटना को छोड़कर।

2. सुरक्षा कवर: इस स्वीकृति पत्र के तहत निर्धारित सुरक्षा कवर को बनाए रखने में विफलता।</td></tr>
</table>

		3. वित्तीय अनुबंध: इस स्वीकृति पत्र के तहत निर्धारित किसी भी वित्तीय अनुबंध का उल्लंघन करना या वित्तीय स्थितियों में गिरावट की अनुमति देना जो इस स्वीकृति पत्र या अन्य वित्त दस्तावेजों के तहत दायित्वों की पूर्ति को प्रभावित करती है। 4. अनुमोदन: निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने या बनाए रखने में विफलता, जिसमें निर्माण अनुमति, पूर्णता प्रमाण पत्र, पर्यावरण मंजूरी, बंधक की अनुमति, अनापत्ति पत्र, पारी-पासु सीडिंग पत्र आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जहां भी लागू हो। 5. व्यवसाय योजनाएं या परियोजना समय-सीमा: सहमत व्यवसाय या बेस केस योजनाओं या नकदी प्रवाह योजनाकार से विचलित होना या परियोजना कार्यान्वयन, पूर्णता या सुधार में देरी करना। 6.संपत्ति की विश्वसनीयता: आरबीआई द्वारा अनुमोदित एजेंसी से बाहरी क्रेडिट जोखिम रेटिंग प्राप्त करने में देरी/विफलता, जहां भी लागू हो, या नकारात्मक दृष्टिकोण, व्यवसाय की व्यवहार्यता जो वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती है, जैसा कि स्वीकृति पत्र में निर्धारित है, जहां भी लागू हो। 7. कैशफ्लो रूटिंग: आवश्यक एस्क्रो खाता खोलने में देरी या नामित खाते के माध्यम से कैश फ्लो को रूट करने में विफलता, स्वीकृति पत्र में निर्धारित, जहां भी लागू हो। 8. बीमा: समय पर संपत्ति का बीमा प्राप्त/नवीनीकृत और पृष्ठांकित नहीं करना और संपत्तियों को सुरक्षित नहीं करना। 9. अतिरिक्त उधार: इस स्वीकृति पत्र के तहत अनुमत अपवादों को छोड़कर, यदि उधारकर्ता एएफएल की सहमति के बिना अतिरिक्त उधार या दायित्व लेता है। 10. जानकारी जमा न करना: निर्धारित समय सीमा के भीतर आवधिक समीक्षा या नवीनीकरण के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करना। 11. स्वीकृति पत्र में परिभाषित कोई अन्य महत्वपूर्ण शर्तें।

iii	**भाग - पूर्व भुगतान शुल्क (आंशिक भुगतान की जा रही राशि पर) /फौजदारी (पूर्ण पूर्व भुगतान) कुल ऋण बकाया राशि / वर्तमान सीमा (ओवरड्राफ्ट के मामले में उपलब्ध सीमा + उपयोग की गई सीमा)**	खुदरा बंधक ऋण (एचएल/एलएपी/किफायती आवास और माइक्रो एलएपी) शुल्क लागू हैं, 1. भाग - पूर्व भुगतान शुल्क (आंशिक भुगतान की जा रही राशि पर) 2.फौजदारी (पूर्ण पूर्व भुगतान) कुल ऋण बकाया राशि / वर्तमान सीमा (ओवरड्राफ्ट के मामले में उपलब्ध सीमा + उपयोग की गई सीमा) लागू शुल्क फ्लोटिंग ब्याज दर के अंतर्गत ऋण के लिए 1. यदि प्राथमिक आवेदक एक गैर-व्यक्तिगत है (होम लोन, एलएपी, माइक्रो

		एलएपी और किफायती आवास के लिए) 2. यदि प्राथमिक आवेदक व्यवसाय के रूप में अंतिम उपयोग वाला व्यक्ति है (होम लोन और किफायती आवास ऋण को छोड़कर) संपत्ति के विरुद्ध ऋण और माइक्रो एलएपी के लिए - 3% + लागू कर होम लोन और किफायती होम लोन के लिए - 2% + लागू कर निश्चित ब्याज दर के तहत ऋण के लिए - 4% + लागू कर (होम लोन, एलएपी, किफायती एचएल और माइक्रो एलएपी के लिए) <u>भाग पूर्व-भुगतान और फौजदारी की शर्तें लागू</u> 1. 12 ईएमआई के क्लीयरेंस के बाद ही भाग पूर्व-भुगतान/फौजदारी की अनुमति होगी। 2. एक वित्तीय वर्ष में केवल दो बार भाग पूर्व-भुगतान की अनुमति होगी और एक वित्तीय वर्ष में केवल 25% तक के पीओएस के पूर्व-भुगतान को ही स्वीकार किया जा सकता है। 3. भाग-पूर्व भुगतान/फौजदारी के रूप में प्राप्त राशि को मूलधन + ब्याज बकाया और भाग पूर्व भुगतान/फौजदारी शुल्क के समायोजन के लिए समायोजित किया जाएगा। 4. प्राप्त किसी भी भाग पूर्व-भुगतान के लिए समायोजन कार्यकाल (डिफ़ॉल्ट) में दिया जाएगा और ईएमआई राशि समान रहेगी। (ईएमआई कार्यकाल में कमी, ईएमआई राशि स्थिर रहेगी) *व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए व्यापार के अलावा अन्य उपयोग के लिए, पूर्व-भुगतान और फौजदारी शुल्क और शर्तें लागू नहीं होंगी, यदि ऋण फ्लोटिंग दर पर ब्याज के अधीन है।* बिज़नेस लोन

		भाग - पूर्व भुगतान शुल्क (आंशिक भुगतान की जा रही राशि पर) फौजदारी (पूर्ण पूर्व भुगतान) कुल ऋण बकाया राशि / वर्तमान सीमा (ओवरड्राफ्ट के मामले में उपलब्ध सीमा + उपयोग की गई सीमा) लागू शुल्क - 3% + लागू कर <u>भाग पूर्व-भुगतान और फौजदारी की शर्तें लागू</u> 1. 12 ईएमआई के क्लीयरेंस के बाद ही भाग पूर्व-भुगतान/फौजदारी की अनुमति होगी। 2. एक वित्तीय वर्ष में केवल दो बार भाग पूर्व-भुगतान की अनुमति होगी और एक वित्तीय वर्ष में केवल 25% तक के पीओएस के पूर्व-भुगतान को ही स्वीकार किया जा सकता है। 3. भाग-पूर्व भुगतान/फौजदारी के रूप में प्राप्त राशि को मूलधन + ब्याज बकाया और भाग पूर्व भुगतान/फौजदारी शुल्क के समायोजन के लिए समायोजित किया जाएगा। 4. प्राप्त किसी भी भाग पूर्व-भुगतान के लिए समायोजन कार्यकाल (डिफ़ॉल्ट) में दिया जाएगा और ईएमआई राशि समान रहेगी। (ईएमआई कार्यकाल में कमी, ईएमआई राशि स्थिर रहेगी) व्यक्तिगत ऋण भाग - पूर्व भुगतान शुल्क (आंशिक भुगतान की जा रही राशि पर) फौजदारी (पूर्ण पूर्व भुगतान) कुल ऋण बकाया राशि / वर्तमान सीमा (ओवरड्राफ्ट के मामले में उपलब्ध सीमा + उपयोग की गई सीमा) लागू शुल्क - 3% + लागू कर <u>भाग पूर्व-भुगतान और फौजदारी की शर्तें लागू</u> 1. 12 ईएमआई के क्लीयरेंस के बाद ही भाग पूर्व-भुगतान/फौजदारी की अनुमति होगी। 2. एक वित्तीय वर्ष में केवल दो बार भाग पूर्व-भुगतान की अनुमति होगी और एक वित्तीय वर्ष में केवल 25% तक के पीओएस के पूर्व-भुगतान को ही स्वीकार किया जा सकता है। 3. भाग-पूर्व भुगतान/फौजदारी के रूप में प्राप्त राशि को मूलधन + ब्याज बकाया और भाग पूर्व भुगतान/फौजदारी शुल्क के समायोजन के लिए समायोजित किया जाएगा।

		4. प्राप्त किसी भी भाग पूर्व-भुगतान के लिए समायोजन कार्यकाल (डिफ़ॉल्ट) में दिया जाएगा और ईएमआई राशि समान रहेगी। (ईएमआई कार्यकाल में कमी, ईएमआई राशि स्थिर रहेगी)
iv	**फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट और इसके विपरीत ऋण स्विच करने के लिए शुल्क**	ऋण बकाया का 1%

AXIS FINANCE

v	**कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)**	कृपया लिंक- https://www.axisfinance.in/policies-and- standards/schedule-of-charges के माध्यम से हमारे शुल्क कार्यक्रम को देखें

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

1	**ऋण समझौते का खंड ऋण समझौते से संबंधित वसूली एजेंटों की नियुक्ति** [6]	उधारकर्ता स्वीकार करता है कि डिफ़ॉल्ट के मामले में सुविधा की वसूली के लिए ऋणदाता एक रिकवरी एजेंट (रिकवरी एजेंट) की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। रिकवरी एजेंट आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेगा, जो धमकी, उत्पीड़न या अपमानजनक भाषा के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। रिकवरी एजेंट आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अनुमेय घंटों के भीतर काम करेगा और वसूली उद्देश्यों के लिए कोई भी संचार पारस्परिक रूप से सहमत स्थान पर किया जाएगा। ऋणदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उधारकर्ता को लगे होने वाले रिकवरी एजेंट के विवरण के बारे में सूचित किया जाए।

2	**ऋण समझौते का खंड जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का विवरण दिया गया है** [7]	उधारकर्ता स्वीकार करता है कि ऋणदाता ने आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। ऋणदाता के निदेशक मंडल ने एएफ़एल (एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड) और उसके ग्राहकों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए संगठन के भीतर उचित शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित किया है। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि ऋण देने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों के निर्णयों से उत्पन्न सभी विवादों को सुना जाए और कम से कम अगले उच्च स्तर पर उनका निपटान किया जाए। ऋणदाता से संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी के साथ-साथ आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक के स्थानीय कार्यालय का विवरण उधारकर्ता के लाभ के लिए ऋणदाता की शाखाओं/व्यावसायिक लेन-देन वाले स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। शिकायत निवारण तंत्र प्रक्रिया https://www.axisfinance.in/policies-and-standards/fair-practices-code पर उपलब्ध है और नोडल शिकायत निवारण

		अधिकारी का संपर्क विवरण इस प्रकार होगा: एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, एक्सिस हाउस, ग्राउंड फ्लोर, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, वर्ली, मुंबई- 400025, कृपया ध्यान दें: शिकायत निवारण अधिकारी- सुश्री मंगल सारंग, ईमेल आईडी- mangal.sarang@axisfinance.in, मोबाइल नंबर- +91-8655749343
3	**फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी शिकायत निवारण अधिकारी** [8]	एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, एक्सिस हाउस, ग्राउंड फ्लोर, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, वर्ली, मुंबई- 400025, कृपया ध्यान दें: नोडल अधिकारी-सुश्री मंगल सारंग, ईमेल आईडी- mangal.sarang@axisfinance.in, मोबाइल नंबर- +91-8655749343
4	**यह ऋण वर्तमान में, या भविष्य में, अन्य प्राप्तकर्ता संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने या सिक्योरिटाईजेशन (सुरक्षीकरण) के अधीन हो सकता है।**	हाँ
5	**सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (जैसे, सह-ऋण/ आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:**	

मूल आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) का नाम, साथ में अपने वित्तपोषण अनुपात के साथ	भागीदार आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) का नाम उसके साथ वित्त पोषण का अनुपात	मिश्रित ब्याज दर
-	-	-

6. शेड्यूल IV के तहत सुविधा समझौते की सामान्य नियम और शर्तों के खंड 45 के अनुसार
7. शेड्यूल IV के तहत सुविधा समझौते की सामान्य नियम और शर्तों के खंड 46 के अनुसार।
8. आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) एक सामान्य ईमेल आईडी प्रदान कर सकता है, बशर्ते 1 कार्य दिवस के भीतर प्रतिक्रिया दी जाए

6	**डिजिटल ऋणों के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:**	
(i)	आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) के बोर्ड द्वारा सलाह नीति के अनुसार, कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण का पूर्व-भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा	-
(ii)	ऋण सेवा प्रदाता (LSP) जो वसूली एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है और उधारीकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत है, का विवरण।	-

ओवरड्राफ्ट / ड्रॉपलाइन सुविधा के लिए

डीओडी/ओडी सुविधा के लिए - उधारकर्ता को दी गई ओडी सुविधा के संबंध में ब्याज की गणना दैनिक आधार पर उधारकर्ता के खाते में दिन के अंत में उपलब्ध ओडी सुविधा से उपयोग की गई राशि के अनुसार की जाएगी। ब्याज की गणना हर महीने की पहली तारीख से शुरू होकर "हर महीने के अंत" यानी 28/29/30 या 31 (जैसा भी मामला हो) महीने के दिन तक की अवधि के लिए की जाएगी और सुविधा की अवधि के दौरान उधारकर्ता द्वारा बाद के कैलेंडर महीने की 5 तारीख तक इसका भुगतान किया जाएगा।
यदि प्रारंभ तिथि महीने के 20वें दिन या उससे पहले है, तो प्रारंभ तिथि से लेकर उस महीने के अंतिम दिन तक प्रारंभिक सीमा लागू होगी। हालाँकि, यदि प्रारंभ तिथि उक्त महीने के 21वें दिन या उसके बाद है, तो प्रारंभ तिथि से लेकर तुरंत बाद वाले महीने के अंतिम दिन तक प्रारंभिक सीमा लागू होगी। उसके बाद, प्रत्येक महीने के लिए, प्रचालन सीमा प्रासंगिक कैलेंडर महीने की पहली तारीख ("सीमा परिवर्तन तिथि") से उसी कैलेंडर महीने की अंतिम तिथि (दोनों समावेशी) तक लागू होगी। प्रचालन सीमा स्वचालित रूप से प्रत्येक सीमा परिवर्तन तिथि पर L/N के बराबर राशि से कम हो जाएगी जहाँ L प्रारंभिक सीमा है और N ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि है, जिसे अनुसूची में महीनों में निर्दिष्ट किया गया है। दृष्टांत: यह मानते हुए कि प्रारंभ तिथि पहले महीने के 20 तारीख को या उससे पहले है, और यदि ओवरड्राफ्ट सुविधा का मूल कार्यकाल 10 महीने है और दी गई प्रारंभिक सीमा 10,00,000/- रुपये (केवल दस लाख रुपये) है, तो अगले महीने के लिए परिचालन सीमा स्वचालित रूप से 10,00,000/10 = 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) कम हो जाएगी और नई परिचालन सीमा (10,00,000 - 1,00,000) = 9,00,000/- रुपये (केवल नौ लाख रुपये) होगी। इसी तरह, अगले महीने के लिए, उधारकर्ता को उपलब्ध परिचालन सीमा में एक और 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) की कमी आएगी, और यह 8,00,000/- रुपये (आठ लाख रुपये) हो जाएगी और इसी तरह आगे भी।

पुनर्भुगतान तिथि	हर महीने की 5 तारीख
सीमा समाप्ति तिथि	हर महीने की पहली तारीख, ब्याज हर महीने के आखिरी दिन जोड़ा जाएगा
सीमा समाप्ति राशि	हर महीने सीमा समाप्ति राशि, स्वीकृत सीमा को ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि से विभाजित करने पर आएगी। उदाहरण – अगर स्वीकृत सीमा 12,00,000 रुपये है और आपकी ऋण अवधि 5 वर्ष (60 महीने) है, तो हर महीने सीमा समाप्ति राशि 20,000 रुपये होगी (12,00,000 / 60)

परिशिष्ट ख

एपीआर की गणना

सावधिक ऋण के लिए समतुल्य आवधिक किश्तें (ईपीआई) और वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) दिखाए गए हैं। ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा के मामले में, वास्तविक निकासी राशि के आधार पर समतुल्य आवधिक किश्तें (ईपीआई) और वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) अलग-अलग होंगी।

क्र.सं.	पैरामीटर	विवरण
1	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में) (केएफएस टेम्प्लेट का क्रमांक 2 - भाग 1)	Rs.4,00,000
2	ऋण अवधि (वर्षों/ महीनों/ दिनों में) (केएफएस टेम्प्लेट का क्रमांक 4 – भाग 1)	60 महीने
a)	गैर-समान आवधिक ऋणों के मामले में, मूलधन के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या	-
b)	ईपीआई (समान आवधिक किस्त) का प्रकार प्रत्येक ईपीआई (समान आवधिक किस्त) की राशि (रुपये में) और ईपीआई (समान आवधिक किस्त) की संख्या (उदाहरण के लिए, मासिक किश्तों के मामले में ईएमआई (समान मासिक किस्त) (की संख्या) (केएफएस टेम्प्लेट का क्रमांक 5 – भाग 1)	मासिक रू.7,893 (ओडी सुविधा के लिए मासिक पुनर्भुगतान राशि मूलधन (सीमा ड्रॉप राशि) और ब्याज शुल्क (उपयोग के आधार पर) होगी) 60 महीने
c)	पूंजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या, यदि कोई हो	-
d)	मंजूरी के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत (केएफएस टेम्प्लेट का क्रमांक 5 - भाग 1)	30 दिनों के भीतर
3	ब्याज दर का प्रकार (निश्चित या अस्थायी या संकर) (केएफएस टेम्प्लेट का क्रमांक 6 - भाग 1)	निश्चित
4	ब्याज की दर (केएफएस टेम्प्लेट का क्रमांक 6 - भाग 1)	15.25% प्रति वर्ष
5	ऋण की पूरी अवधि के दौरान प्रचलित दर के अनुसार लिया जाने वाला कुल ब्याज राशि (रुपये में) (ओडी के मामले में, यह वास्तविक सीमा उपयोग के अधीन है)	Rs.2,09,339
6	शुल्क/प्रभार देय8 (रुपये में)	Rs.10,676

A	देय आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) को (केएफएस टेम्प्लेट-भाग 1 का क्र.सं. 8ए)	Rs.5,900
B	तृतीय-पक्ष को देय राशि RE (केएफएस टेम्प्लेट का क्र.सं. 8B – भाग 1) के माध्यम से भेजी गई	Rs.4,776
7	कुल वितरित राशि (1-6) (रुपयों में)	Rs.3,89,324
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (1 और 5 का योग) (रुपये में) (ओडी के मामले में, यह वास्तविक सीमा उपयोग के अधीन है)	Rs.6,09,339
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) 10 (केएफएस टेम्प्लेट-भाग 1 का क्र.सं. 9)	16.32% प्रति वर्ष
10	शर्तों और नियमों के अनुसार संवितरण का कार्यक्रम	एकल संवितरण की स्थिति में, कोई संवितरण शेड्यूल लागू नहीं होगा क्योंकि उधारकर्ता द्वारा पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के अधीन संवितरण एक बार ही होगा। हालाँकि, यदि उधारकर्ता ने कई किश्तों में संवितरण का अनुरोध किया है, तो संवितरण शेड्यूल को https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html से डाउनलोड किया जा सकता है या ग्राहक सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से अनुरोध किया जा सकता है।
11	किस्त और ब्याज के भुगतान की देय तिथि। (ओडी के मामले में, हर महीने की पहली तारीख तक सीमा कम हो जाएगी, महीने की 5 तारीख तक तुरंत भुगतान किया जाएगा)	ईएमआई (समान मासिक किस्त) चक्र तिथि (लागू होने पर 5वीं या 10वीं)

परिशिष्ट सी

सुविधा तालिका के लिए समान आवधिक किस्त के तहत पुनर्भुगतान अनुसूची उसके लिए है (यह तब लागू होता है जब सुविधा एक सावधि ऋण हो)

.

किस्त क्रमांक	बकाया मूल राशि (रुपये में)	प्रिंसिपल (रुपये में)	ब्याज (रुपये में)	किस्त (रुपये में)
1	400000	4060	6098	10158
2	395940	4316	5842	10158
3	391624	4174	5984	10158
4	38745	4235	5923	10158

5	383210	4866	5292	10158
6	378345	4374	5784	10158
7	373979	4625	5533	10158
8	369355	4511	5647	10158
9	364830	4760	5398	10158
10	360079	4653	5505	10158
11	355426	4724	5434	10158
12	350702	4970	5188	10158
13	345732	4873	5285	10158
14	340859	5115	5043	10158
15	335744	5025	5133	10158
16	330719	5102	5056	10158
17	325617	5662	4496	10158
18	319955	5267	4891	10158
19	314688	5502	4656	10158
20	309186	5431	4727	10158
21	303755	5664	4494	10158
22	298091	5601	4557	10158
23	292490	5687	4471	10158
24	286803	5915	4243	10158
25	280888	5864	4294	10158
26	275024	6089	4069	10158
27	268935	6047	4111	10158
28	262888	6139	4019	10158
29	256749	6613	3545	10158
30	250136	6334	3824	10158
31	243802	6551	3607	10158
32	237251	6531	3627	10158
33	230720	6745	3413	10158
34	223975	6734	3424	10158
35	217241	6837	3321	10158
36	210404	7045	3113	10158
37	20335	7049	3109	10158

38	196319	7254	2904	10158
39	189056	7274	2884	10158
40	181782	7387	2771	10158
41	174395	7671	2487	10158
42	166724	7616	2542	10158
43	159108	7811	2347	10158
44	151297	7851	2307	10158
45	143446	8042	2116	10158
46	135404	8094	2064	10158
47	127310	8217	1941	10158
48	119093	8401	1757	10158
49	110692	8470	1688	10158
50	102222	8650	1508	10158
51	93572	8728	1430	10158
52	84844	8861	1297	10158
53	75983	9109	1049	10158
54	66874	9136	1022	10158
55	57738	9304	854	10158
56	48434	9418	740	10158
57	39016	9581	577	10158
58	29435	9708	450	10158
59	19727	9856	302	10158
60	9871	9871	146	10017

ध्यान दें: ऊपर दिया गया पुनर्भुगतान कार्यक्रम स्वीकृत ऋण राशि पर आधारित है। कृपया ध्यान दें कि ब्याज दर और शुल्क की वास्तविक दर आपके सुविधा पर लागू होने वाली दर के अनुसार होगी, जो वितरण की वास्तविक तिथि पर और वितरित राशि और विशिष्ट वितरण शर्तों के अधीन होगी। कृपया अपनी सुविधा के लिए पुनर्भुगतान कार्यक्रम को https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html से डाउनलोड करें या ग्राहक सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से अनुरोध करें।

संवितरण अनुसूची 9

ध्यान दें: एकल संवितरण के मामले में, कोई संवितरण अनुसूची लागू नहीं है क्योंकि उधारकर्ता द्वारा पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के अधीन संवितरण एक बार किया जाएगा। हालाँकि, यदि उधारकर्ता ने कई किश्तों में संवितरण का अनुरोध किया है, तो https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html से अपनी सुविधा के लिए संवितरण अनुसूची प्राप्त करें या ग्राहक सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से अनुरोध करें।

9 यदि एक ही किश्त है - तो एकल किश्त का उल्लेख करें। यदि कई किश्तें हैं, तो प्रस्तावित कार्यक्रम का उल्लेख करें। यदि प्रस्तावित कार्यक्रम तय नहीं है तो उल्लेख करें "उपलब्धता अवधि के दौरान उधारकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर और समय-समय पर ऋणदाता द्वारा स्वीकार किए जाने पर"।

आपके लिए संवितरण अनुसूची https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html से प्राप्त करें या ग्राहक सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से अनुरोध करें।

अनुसूची VI

अंतिम उपयोग घोषणा

दिनांक:

सेवा में,

एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड **("एएफएल")**

_____

_____

विषय: निधियों के अंतिम उपयोग के संबंध में घोषणा

संदर्भ: ऋण संदर्भ संख्या:_____ **("सुविधा समझौता")** वाले सुविधा समझौते के तहत सुविधा;

प्रिय महोदय/महोदया,

1. एएफएल द्वारा स्वीकृत सुविधा के संदर्भ में, सुविधा समझौते के अनुसार मुझे/हमें, राशि रु. _____ **("सुविधा")** के लिए और जैसा कि स्वीकृति पत्र में कहा गया है, मैं/हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि सुविधा जो मुझे/हमें सुविधा समझौते के तहत स्वीकृत की गई है, उसका उपयोग केवल निम्नलिखित उद्देश्य **("उद्देश्य")** के लिए किया जाएगा:

(क) निजी उपयोग के लिए, , _____ के लिए

(ख) अन्य उपयोग के लिए, _____ के लिए

(कृपया भरें/चयन करें, जो भी लागू हो)

2. मैं/हम एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त उद्देश्य एक वैध उद्देश्य है और मैं/हम सुविधा या उसके किसी भी भाग का उपयोग उपरोक्त उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे।

3. पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मैं/हम एतद्द्वारा वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि सुविधा या उसका कोई भी भाग निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसी के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा और इसका उपयोग करने का इरादा नहीं है:

(क) कोई भी सट्टा उद्देश्य या सट्टा व्यवसाय/गतिविधि या अवैध और असामाजिक गतिविधियाँ;

(ख) किसी भी व्यक्ति की पूंजी की सदस्यता या खरीद (चाहे इक्विटी या वरीयता शेयरों की सदस्यता या खरीद के माध्यम से, किसी कंपनी/बॉडी कॉर्पोरेट के मामले में, या साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी फर्म के मामले में एक भागीदार के रूप में पूंजी लाना);

(ग) रियल एस्टेट में सट्टा निवेश;

(घ) प्रतिभूतियों, डिबेंचर या शेयर बाजारों में निवेश;

(ङ) धन उधार देने की गतिविधियाँ;

(च) किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी किए गए डिबेंचर या किसी अन्य ऋण साधन की सदस्यता या खरीद;

(छ) अंतर-कॉर्पोरेट जमा करना;

(ज) शेयरों या प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के लिए;

(झ) किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए;

(ञ) भूमि की खरीद के लिए;

(ट) ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) का उपभोग/उत्पादन करने वाली नई इकाइयों की स्थापना के लिए;

(ठ) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत निषिद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए;

(ड) किसी भी अन्य उद्देश्य या गतिविधियों के लिए जिसके लिए सुविधा का विस्तार नहीं किया गया है।

4. मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि निधियों के उपयोग के उद्देश्य को सुविधा समझौते के अस्तित्व के दौरान किसी भी तरह से नहीं बदला जाएगा।

5. मैं/हम एतद्द्वारा सहमत हैं कि, ऐसा करने के लिए बाध्य हुए बिना, एएफएल को सुविधा के उपयोग/अंतिम उपयोग की निगरानी करने का अधिकार होगा, जिसमें किसी भी लेखा परीक्षक (कों) या सलाहकार (कों) के माध्यम से उनसे आवश्यक प्रमाणन के साथ, जैसा कि एएफएल द्वारा अपने एकमात्र विवेक पर मेरे/हमारे खर्च पर नियुक्त किया जा सकता है। एएफएल किसी भी समय अपने विवेक पर मुझे/हमें एक वैधानिक लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र या एएफएल द्वारा आवश्यक किसी अन्य व्यक्ति से और एएफएल द्वारा आवश्यक रूप और तरीके से, यह प्रमाणित करने के लिए कह सकता है कि सुविधा का उपयोग मेरे/हमारे द्वारा, केवल ऊपर निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया है।

6. सुविधा समझौते की शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसमें धारा 16 भी शामिल है, मैं/हम/मेरे भागीदार/मेरे अधिकृत कर्मी (जैसा भी लागू हो) एतद्द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से एएफएल और उसके अधिकारियों, प्रतिनिधियों, कर्मचारियों, निदेशकों और एजेंटों को किसी भी दावे, नुकसान या खर्च के खिलाफ क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं, जो उन्हें निम्नलिखित के परिणामस्वरूप हुआ है: (i) सुविधा का उपयोग पैराग्राफ 1 में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है; (ii) सुविधा का उपयोग पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट उद्देश्यों में से किसी के लिए किया जा रहा है; (iii) इस घोषणा की किसी भी शर्त का उल्लंघन।

7. मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि मेरे/हमारे पास इस घोषणा को निष्पादित करने का पूरा अधिकार और प्राधिकार है।

भवदीय,

_____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/उधारकर्ता

उधारकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (यदि लागू हो):

_____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/सह-उधारकर्ता

सह-उधारकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (यदि लागू हो):

AXIS FINANCE

स्वीकृति

मुझे/हमें पता है कि उधारदाता इस समझौते का पक्षकार बनने के लिए तभी सहमत होगा जब वह आवेदन पत्र में मेरे/हमारे द्वारा भरी गई सभी शर्तों और विवरणों के संबंध में खुद को संतुष्ट कर लेगा और यह समझौता और अन्य सुविधा दस्तावेज उधारदाता की नीति के अनुरूप हैं। इस समझौते की सामग्री को उधारकर्ता को उधारकर्ता की ज्ञात भाषा में पढ़ा, समझा और समझाया गया है और उधारकर्ता द्वारा इसे समझा गया है।

_____ _____

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____

इस समझौते पर हस्ताक्षर करके, उधारकर्ता इसके नियमों से कानूनी रूप से बाध्य होने के लिए सहमत होता है। इस समझौते की उधारकर्ता की स्वीकृति का गठन होगा: (i) उधारकर्ता का समझौता अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और इस समझौते में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों से बिना शर्त बाध्य होने के लिए; (ii) उधारकर्ता की पावती और पुष्टि कि इस समझौते (सुविधा दस्तावेजों के साथ) को उधारकर्ता द्वारा विधिवत पढ़ा और पूरी तरह से समझा गया है; और (iii) उधारकर्ता कर्ज़ समझौते के अनुबंध में उल्लिखित लाभार्थी विवरण के लिए धन के वितरण की पुष्टि करता है। साथ ही, एएफ़एल - एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड वितरण लिखत जमा/एनकैश नहीं होने की स्थिति में संवितरण लिखत को रद्द करने/संवितरित राशि को वापस करने का पूरा

अधिकार सुरक्षित रखता है और उधारकर्ता ऐसी घटनाओं में सभी ब्याज और लागत वहन करेगा। एएफ़एल -एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड /ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट)/कर्ज़ अवधि में किसी भी संशोधन सहित कर्ज़ शर्तों को संशोधित करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।

तारीखः _____

_____
एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

AXIS FINANCE